[2022] 7 एस. सी. आर. 630

पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से राज्य

वी.

आर. सौंदिरासु ईटीसी।

(आपराधिक अपील सं। 1452-1453 2022 का)

05 सितंबर, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और जे. बी. पारदीवाला। जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 239 , 397 , 401 अभियुक्त का निष्कासन-प्रतिवादी संख्या 1 मोटर चालक के रूप में कार्य कर रहा था

जाँच अवधि के दौरान वाहन निरीक्षक-उत्तरदाता संख्या 2 है

उसकी पत्नी जो एक वाणिज्य स्नातक है और एक होने का दावा कर रही है

1990 के बाद से आय का अलग स्रोत और आयकर का भुगतान-प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) पी. सी. अधिनियम आर/डब्ल्यू। 109 आई. पी. सी.-जाँच के दौरान, उसकी पत्नी यानी प्रतिवादी संख्या 2 की भूमिका एक सहायक के रूप में सामने आई।

विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र-उत्तरदाता

दायर याचिका यू / आरोपमुक्त करने के लिए s.239-विशेष न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला था और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार नहीं कहा जा सकता है ताकि उन्हें अभियोजन से मुक्त किया जा सके-प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किए-उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त कर दिया

प्रतिवादी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत से अलग करती है कि

आरोपित अपराधों के घटकों को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होगा और आरोपी पर कभी भी उसके खिलाफ बनाए गए आरोप को गलत साबित करने के लिए नहीं जाएगा-एस का कानूनी प्रभाव। 13 (1) (ई) यह है कि यह स्थापित करना अभियोजन पक्ष का काम है कि अभियुक्त के पास आय के अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी, लेकिन

"आय के ज्ञात स्रोत" शब्द का अर्थ अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोत होगा न कि अभियुक्त को ज्ञात स्रोत और अभियुक्त की जानकारी में-यह अभियुक्त के लिए है कि वह

अपने हाथों में धन/संपत्ति के लिए संतोषजनक खाता-इस संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है।

अभियुक्त अपने ऊपर इस दायित्व को निर्वहन करने का प्रयास नहीं कर सकता है

एस का चरण। 239- मामले के अभिलेख से उभरने वाली परिस्थितियाँ अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता का संकेत देती हैं

कथित अपराध-यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ आरोप

630 स्टेट थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v.

आर. सौंदिरासु ईटीसी।

अभियुक्त व्यक्ति निराधार थे-विशेष अदालत ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया-दंड

कोड, 1860-एस। 109 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.106-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-ss. 13 (2) , 13 (1) (ई)।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: आय के ज्ञात स्रोत-परिभाषित-यह अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों को संदर्भित करता है और

अभियुक्त को नहीं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: अभियुक्त पर संतोषजनक ढंग से समझाने और परिसंपत्तियों का हिसाब रखने की जिम्मेदारी या बोझ है।

लोक सेवक के कब्जे में पाया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: क्या जाँच अधिकारी को एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए

अभियुक्त-गिरफ्तारः अभियुक्त लोक सेवक के पास आरोप पत्र दाखिल करने से पहले जांच अधिकारी को कथित आय से अधिक संपत्ति के बारे में समझाने का मौका देने का अधिकार नहीं है, प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाकर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले अभियुक्त को ऐसा ही अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: आरोप तय करने का चरण-न्यायालय के दृष्टिकोण को एक अनुमानित राय बनानी होती है

अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के लिए

अभिकथित-न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.239-प्रथम दृष्टया मामला यू / s.239-यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा-शब्द ' 'आधारहीन' का अर्थ है कि यह मानने के लिए कोई आधार नहीं होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है और न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है-यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।

किसी भी अपराध के किए जाने के संबंध में, यह किया जाएगा

शुल्क के आधारहीन होने की राशि।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: उच्च की पुनरीक्षण शक्तियाँ

न्यायालय-महत्वाकांक्षा और दायरा-आयोजितः पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग केवल कानून या प्रक्रिया की प्रकट त्रुटि को सुधारने के लिए किया जा सकता है जो अन्याय का कारण बनती है, यदि इसे ठीक नहीं किया जाता है-पुनरीक्षण शक्ति का उपयोग आकस्मिक या यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता है-पुनरीक्षण शक्ति को

अपीलीय शक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है-एक पुनरीक्षण अदालत [2022] 7 एस. सी. आर. नहीं कर सकती है।

अभिलेख पर सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करना क्योंकि यह निचली अदालत या अपीलीय अदालत द्वारा की जाती है-यह शक्ति इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कार्यवाही जारी रखने के लिए कोई कानूनी बाधा हो या आरोप पत्र में बताए गए तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर सही माना जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, तो यह उस अपराध का गठन नहीं करता है जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है-यह कानून या प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि की जांच करने के लिए प्रदान किया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों को संदर्भित करती है, "जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है" अभिव्यक्ति अभियुक्त पर संतोषजनक रूप से व्याख्या करने और लोक सेवक के पास पाई गई संपत्ति के लिए लेखा देने की जिम्मेदारी या बोझ को संदर्भित करती है। यह भार अभियुक्त पर है क्योंकि उक्त तथ्य उसके भीतर हैं। विशेष ज्ञान। धारा 13 (1) (ई) का स्पष्टीकरण एक प्रक्रियात्मक धारा है जो "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति को अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करती है न कि अभियुक्त को। स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा की जाने वाली जाँच के तरीके और तरीके पर लागू होता है और उससे संबंधित है, यह अभियोजन पक्ष की आवश्यकता और आवश्यकता को दूर करता है।

अभियोजन पक्ष एक खुली, व्यापक और व्यापक जांच करे और आय के उन कथित स्रोतों की जांच करे जो अभियुक्त के पास हो सकते हैं। यह अभियोजन पक्ष की आय के कथित स्रोतों में जाने की आवश्यकता और आवश्यकता को कम करता है जो एक लोक सेवक के पास हो सकता है या संभवतः कानूनी नहीं हैं या घोषित नहीं किए गए हैं। अघोषित कथित स्रोत अपने स्वभाव से हैं -

उम्मीद की जाती है कि वह केवल अभियुक्त को ही ज्ञात होगा और उसके विशेष ज्ञान में होगा। व्याख्या का प्रभाव मौजूदा स्थिति और समझ को स्पष्ट और सुदृढ़ करना है

अभियोजन पक्ष के लिए एक ऐसे अभियुक्त की आय के सभी कथित/दावा किए गए ज्ञात स्रोतों का पता लगाने के लिए एक खुली जांच या जांच करने की आवश्यकता और आवश्यकता, जो पीसी अधिनियम, 1988 के तहत जांच की गई। अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से अधिकारियों को दी गई जानकारी पर भरोसा कर सकता है।

आर. सौंदिरासु ईटीसी।

कानून, नियमों और आदेशों के तहत जो कुछ समय के लिए लोक सेवक पर लागू होते हैं। आगे की जाँच की आवश्यकता नहीं है

अभियुक्त लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों का पता लगाने के लिए अभियोजन। [पैरा 41] [666-जी-एच; 667-ए-ई]

2. पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए वारंट मामले की सुनवाई में,

निर्वहन के लिए प्रावधान धारा 239 की शर्तों के अनुसार शासित किए जाने हैं जो प्रदान करते हैं कि निर्वहन के लिए एक निर्देश कर सकता है केवल न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए किया जाए जहां वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है। धारा 239 के तहत प्रावधानों के अनुसार जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध

किया गया है और न कि आरोपी को दोषी ठहराने का आधार बनाया गया है। उस स्तर पर, यहां तक कि मजबूत संदेह भी ऐसी सामग्री पर आधारित होता है जो न्यायालय को तथ्यात्मक अवयवों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित करता है। कथित अपराध उस अपराध के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने को उचित ठहराएंगे, और यह केवल उस मामले में है जहां मजिस्ट्रेट आरोप को निराधार मानता है, उसे ऐसा करने के लिए अपने कारण दर्ज करने के बाद अभियुक्त को आरोपमुक्त करना है। धारा 239 में इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ विचार करने की परिकल्पना की गई है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ आरोप निराधार है या क्या यह मानने का आधार है कि उसने कोई अपराध किया है। इसलिए, धारा 239 जो निर्धारित करती है, वह एक खाली या नियमित औपचारिकता नहीं है। यह एक मूल्यवान प्रावधान है

अभियुक्त का लाभ, और इसका उल्लंघन कानून के तहत अनुमत नहीं है। लेकिन यदि न्यायाधीश, परीक्षण, यदि कोई हो, और सुनवाई सहित अभिलेख पर विचार करने पर, यह राय रखता है कि यह "अनुमान लगाने के लिए आधार" है कि अभियुक्त ने अध्याय के तहत विचारण योग्य अपराध किया है, तो धारा 240 द्वारा उसे अभियुक्त के खिलाफ लिखित रूप में आरोप तैयार करने की आवश्यकता है। शुल्क की संरचना के लिए आदेश भी एक खाली या नियमित औपचारिकता नहीं है। यह एक दूरगामी प्रकृति का है, और यह एक निर्णय के बराबर है कि अभियुक्त धारा 239 के तहत निर्वहन का हकदार नहीं है, यह मानने के लिए आधार है कि उसने अध्याय XIX के तहत विचारणीय अपराध किया है और उसे इसके लिए दोषी ठहराने के लिए बुलाया जाना चाहिए और दोषी ठहराया जाना चाहिए और उस पर सजा दी जानी चाहिए।

याचिका दायर करें, या मुकदमे का सामना करें। [पारस 59 और 60] [677-डी-एच; 678-ए-सी]

3. धारा 239 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 240 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि प्रथम दृष्टया सबूत है या आरोप के समर्थन में अभियुक्त के खिलाफ सामग्री, वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 240 के अनुसार आरोप तय कर सकता है। लेकिन अगर वह पाता है कि आरोप (आरोप या आरोप)

अभियुक्त के खिलाफ किया गया मामला प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाता है और आरोप तैयार करने के लिए आधार प्रदान नहीं करता है, यह आरोप निराधार होने का मामला होगा, इसलिए उसके पास अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहाँ मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि संज्ञान लेना

उस प्रश्न पर विचार करना और यदि तथ्य उचित हैं तो आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त को आरोपमुक्त करना। असली परीक्षा यह निर्धारित करना कि क्या आरोप को सी. आर. पी. सी. की धारा 239 के तहत निराधार माना जाना चाहिए, यह है कि क्या सामग्री ऐसी है कि भले ही बिना किसी सबूत के कोई मामला न बने, लेकिन आरोपी को सी. आर. पी. सी. की धारा 239 के तहत आरोपमुक्त कर दिया जाना चाहिए। निचली अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अभियोग तैयार करने के उद्देश्य से आवेदक के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है, यदि उनका खंडन नहीं किया गया है, तो क्या कोई मामला है। [पारस 68 और 69] [680-डी-एच; 681-ए]

4. पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग आकस्मिक या यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल मैनिफेस्ट को सही करने के लिए किया जा सकता है।

कानून या प्रक्रिया की त्रुटि जो अन्याय का कारण बनती है, यदि इसे ठीक नहीं किया जाता है। पुनरीक्षण शक्ति को अपीलीय शक्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है। एक पुनरीक्षण न्यायालय सावधानीपूर्वक कार्य नहीं कर सकता है।

अभिलेख पर सामग्री की जाँच जैसा कि यह विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कार्यवाही जारी रखने के लिए कोई कानूनी बाधा हो या आरोप पत्र में बताए गए तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर सही माना जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार नहीं किया जाए।

वह अपराध जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। यह कानून या प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि की जांच के लिए प्रदान किया जाता है।

[पैरा 76] [683-एफ-जी] स्टेट थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी।

5. अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई) आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत से अलग करती है कि बोझ हमेशा रहेगा। आरोपित अपराधों के घटकों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर झूठ बोलना और कभी भी अभियुक्त पर उसके खिलाफ बनाए गए आरोप को गलत साबित करने के लिए दबाव नहीं डालना। धारा 13 (1) (ई) का कानूनी प्रभाव यह है कि यह स्थापित करना अभियोजन पक्ष का काम है कि अभियुक्त इस मामले में था।

अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्तियों का कब्जा

आय का, लेकिन "आय के ज्ञात स्रोत" शब्द का अर्थ अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोत होगा, न कि अभियुक्त को ज्ञात स्रोत और अभियुक्त की जानकारी में। यह अभियुक्त के लिए है कि वह अपने हाथों में धन/संपत्ति का संतोषजनक लेखा-जोखा रखे। संतोषजनक स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है। अभियुक्त इस दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास नहीं कर सकता है।

उसे सी. आर. पी. सी. की धारा 239 के स्तर पर। सी. आर. पी. सी. की धारा 239 के स्तर पर, न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामले को देखना है और यह तय करना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया मामला है या नहीं। आधारहीन। [पैरा 80] [684-एफ-एच; 685-ए]

6. मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली परिस्थितियाँ, प्रथम दृष्टया, मामले में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता का संकेत देती हैं।

कथित अपराध। अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप है आधारहीन। इस मामले में विचारणीय मुद्दे हैं। यदि परीक्षण योग्य मुद्दे हैं, तो न्यायालय से प्रतिद्वंद्वी संस्करणों की सत्यता में जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। उच्च द्वारा पारित विवादित आदेश

अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष से आरोपमुक्त करने वाली अदालत को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। विशेष न्यायालय अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार आरोप तय करेगा और उन पर मुकदमा चलाएगा। [पारस 81 और 82] [685-बी-डी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। वासुदेव रामचंद्र

कैदलवार (1981) 3 एस. सी. सी. 199: [1981] 3 एससीआर 675; एन.

रामकृष्णैया बनाम। ए. पी. राज्य 2009 Crl.L.J. 1767;

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) और ए. एन. आर. वी.

थोमंद्रू हन्ना विजयलक्ष्मी @टी. एच.

विजयलक्ष्मी और अन्र। 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 923;

के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 655: [1991] 3 एस. सी. आर. 189; ओंकार नाथ मिश्रा और अन्य बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और दूसरा (2008) 2 एस. सी. सी. 561: [2007] 13 एस. सी. आर. 716; महाराष्ट्र राज्य बनाम।

थ [2022] 7 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. पी. बनाम राज्य मोहनलाल सोनी (2000) 6 एससीसी 338; श्योराज सिंह अहलावत और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश और एक अन्य (2013) 11 एस. सी. सी. 476: [2012] 10

एससीआर 1034; सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।

लिमिटेड वी. महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर 1972 एस. सी 545,

कानूनी मामलों के अधीक्षक और स्मरणकर्ता,

पश्चिम बंगाल बनाम. अनिल कुमार भुनजा एयर 1980 एससी 52:

[1980] 1 एस. सी. आर. 323; मुन्ना देवी बनाम। राजस्थान राज्य

& एन. आर. (2001) 9 एस. सी. सी. 631-पर निर्भर।

उड़ीसा राज्य बनाम। देवेंद्र नाथ पाधी (2005) 1 एस. सी. सी.

568 : [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 460; तमिलनाडु राज्य

पुलिस निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी बनाम।

एन. सुरेश राजन और अन्य (2014) 11 एससीसी 709:

[2014] 1 एस. सी. आर. 135; जगन एम. शेषाद्रीव। तमिल राज्य

नाडु, (2002) 9 एस. सी. सी. 639; सज्जन सिंह बनाम। की स्थिति

पंजाब एयर 1964 एससी 464: [1964] 4 एससीआर 630; सी. डी. एस.

स्वामी वी. राज्य, एआईआर 1960 एससी 7: [1960] 1 एस. सी. आर. 461; वी. सी. शुक्ला बनाम सी. बी. आई. ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 962 के माध्यम से कहें:

[1980] 2 एस. सी. आर. 380; के. रामकृष्ण और अन्य बनाम। राज्य

बिहार और एक अन्य (2000) 8 एस. सी. सी. 547; राज्य द्वारा

कर्नाटक लोकायुक्ता, पुलिस थाना, बेंगलुरु बनाम। एम. आर. हीरेमथ (2019) 7 एससीसी 515: [2019] 8 एससीआर 713;

रोड एजेंसी प्रा. लि. का एशियन रिसर्फेसिंग। लिमिटेड वी. केंद्रीय

जांच ब्यूरो (2018) 16 एस. सी. सी. 299: [2018] 2

एस. सी. आर. 1045-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2004] 6 पूरक। एससीआर 460

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[2014] 1 एससीआर 135

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[1981] 3 एससीआर 675

उस पर भरोसा करें

पैरा

29

(2002) 9 एस. सी. सी. 239

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

[1964] 4 एससीआर 630

संदर्भित किया गया है

पैरा

39

[1960] 1 एससीआर 461

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

[1991] 3 एससीआर 189

पैरा 55 स्टेट थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी।

[1996] 1 पूरक। एससीआर 189

उस पर भरोसा करें

पैरा

55

(2000) 6 एस. सी. सी. 338

उस पर भरोसा करें

पैरा

55

[2012] 10 एससीआर 1034

उस पर भरोसा करें

पैरा

58

[1980] 2 एससीआर 380

संदर्भित किया गया है

पैरा

60

पैरा

64

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर 1972 एस. सी. 545

[1980] 1 एससीआर 323

उस पर भरोसा करें

पैरा

66

(2000) 8 एस. सी. सी. 547

संदर्भित किया गया है

पैरा

70

[2019] 8 एससीआर 713

संदर्भित किया गया है

पैरा

71

(2001) 9 एस. सी. सी. 631

पैरा

75

संदर्भित किया गया है

[2018] 2 एससीआर 1045

संदर्भित किया गया है

पैरा

77

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1452-1453 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 27.04.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के आपराधिक संशोधन मामले Nos.702 और 703 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

वी. कृष्णमूर्ति, ए. ए. जी., डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., नूपुर शर्मा,

शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, सुश्री ऋचा विश्वकर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. एल. चिदानंद, आर. जनार्दनन,

एस. सेंथिल इलनगोवन, एस. कृष्णमूर्ति, के. कुमारवादिवेल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. चूँकि दोनों शीर्षक अपीलों में उठाए गए मुद्दे हैं

समान रूप से, उन्हें समान रूप से सुना गया था और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. ये अपीलें तमिलनाडु राज्य के कहने पर की गई हैं।

पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक, सलेम जिला, तमिलनाडु के माध्यम से और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक [2022] 7 एस. सी. आर. द्वारा पारित दो निर्णयों और आदेशों के खिलाफ निर्देशित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27.04.2017 भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (संक्षेप में, "आई. पी. सी".) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, "अधिनियम 1988") की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत अभियोजन पक्ष से उन्हें आरोपमुक्त करने वाले प्रतिवादियों (मूल अभियुक्त व्यक्तियों) द्वारा पसंद किए गए आपराधिक पुनरीक्षण आवेदनों को अनुमति देना।

फैक्ट मैट्रिक्स

4. इन अपीलों में उत्तरदाता पति और पत्नी हैं। प्रतिवादी संख्या 1-आर. सौन्दिरारासु प्रासंगिक समय पर थे जाँच अवधि के दौरान नामक्कल में मोटर वाहन निरीक्षक (ग्रेड 1) के रूप में कार्य करना, यानी 01.01.2002 से 31.03.2004 तक। प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् सुगुना प्रत्यर्थी संख्या 1 की पत्नी है।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 एक वाणिज्य स्नातक है और आय का एक अलग स्रोत होने का दावा करता है। वह आर. कुमार डब्ल्यू. ई. एफ. के साथ एस. के. मैट इंडस्ट्रीज के नाम से चल रही एक साझेदारी फर्म में भागीदार थीं। साझेदारी 31.03.2003 पर भंग हो गई, और उसके बाद वह एक एकल मालिक के रूप में बनी रही। 6. यह प्रतिवादी संख्या 2 का मामला है कि वह 1990 से आयकर का भुगतान कर रही है और उसके आईटी रिटर्न का भुगतान किया जा रहा है।

उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जांच की गई। 7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ पुलिस स्टेशन, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक में दिनांक 1 दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.),

अधिनियम 1988 के तहत अपराधों के लिए जिला सलेम जैसा कि ऊपर बताया गया है। 8. वर्तमान अपीलों के बेहतर और प्रभावी निर्णय के लिए, हम पूरी एफ. आई. आर. को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक समझते हैं:

" एफ. आई. आर. सी. आर. में कॉलम संख्या 12। सं. 9/एसी/2005/एसएल/एसयू

त्र. आर. सुंदरारासु मार्च 98 से मई 2000 से जुलाई 2002 और सितंबर 2002 तक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नामक्कल, रासीपुरम और सांकरी के कार्यालय में मोटर वाहन निरीक्षक ग्रेड-1 के रूप में काम कर रहे थे।

सितंबर 2004 क्रमशः और फिर 27.09.2004 से नामक्कल में। वह एक लोक सेवक है जैसा कि धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

अभियुक्त ट्र. आर. सुंदरारासु, मोटर वाहन

इंस्पेक्टर ग्रेड-1 एक साधारण कृषि से थे।

परिवार। वह अपने माता-पिता का दूसरा बेटा है। त्र.

रामासामी और टी. ई. थ्रू डिप्टी सुपरिनटेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

टीएमटी। कृष्णम्मल। उन्होंने तकनीकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है और शाम की कक्षाओं में भाग लेकर बी. ई. की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने सुगुना डी/ओ ट्र से शादी की। कवई के दुरैसामी 12.2.90 पर। उनका एक बेटा है जिसका नाम सरनकुमार है जो होली मैट्रिक स्कूल, सलेम में सातवीं कक्षा में पढ़ रहा है।

विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर जो अभियुक्त के पास है

अर्जित की गई और उसके पास अपने नाम पर और अपनी पत्नी और ससुर के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक मूल्य की संपत्ति, मकान स्थल, भूमि, मकान आदि के रूप में संपत्ति है, एक प्रारंभिक सत्यापन किया गया, जिसके दौरान निम्नलिखित जानकारी सामने आई है।

1.1.2002 के अनुसार, आरोपी में पाया गया है

उनके नाम और उनकी पत्नी के नाम पर संपत्ति का कब्जा। सुगुना, सोने के गहने, चांदी के गहने, घरेलू सामान आदि उपहार और खरीद आदि के रूप में लगभग रु। 3,75, 250.00 .

29.2.2004 के अनुसार, आरोपी में पाया गया है

उनकी पत्नी श्रीमती के नाम पर संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का कब्जा। सुगुना, उनके ससुर थिरू। दुरैसामी और उनके नाबालिग बेटे सरनकुमार की कुल कीमत रु।

18,41, 680.00 . इनमें शामिल हैं, 1.1.2002 पर उसके कब्जे में संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का एक हिस्सा।

इसके अतिरिक्त अर्जित संपत्तियाँ और आर्थिक संसाधन जैसे कि गृह निर्माण और गृह निर्माण का निर्माण।

1.1.2002 और 29.2.2004 की अवधि के दौरान,

अभियुक्त ने निम्नलिखित संपत्तियों का अधिग्रहण किया हैः

लगभग रु. 7,99,500/- मूल्य का एक सीढ़ीदार घर बनाया।

((i)

उनकी पत्नी का नाम टी. एम. टी. पुराने छत वाले घर को ध्वस्त करने के बाद गणपति गाँव, गणपतिपुरम, कोयंबटूर के S.No.11/1266 में स्थित दरवाजे पर सुगुना।

70 वर्ग कि. मी. के प्लिंथ क्षेत्र के साथ एक सीढ़ीदार इमारत खरीदी। भूतल पर मीटर और 10 वर्ग मीटर। बोदिनैकनपट्टी गाँव की पहली मंजिल पर मीटर S.No.69/1-A1 अपने ससुर Tr.Duraisamy के नाम पर Doc.No.499/2004 dt के तहत। 6.2.2004 एस. आर. ओ., सूरमंगलम और उसी को Doc.No.645/2004, डी. टी. में निपटान विलेख के माध्यम से आरोपी के नाबालिग बेटे सरनकुमार के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था। 16.02.2004 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए 5,160/- रुपये की राशि उक्त Tr.Duraisamy द्वारा वहन करना।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्तियों और आर्थिक प्रतिष्ठानों का कुल मूल्य

1.1.2002 से 29.2.2004 की अवधि के दौरान अभियुक्त द्वारा अर्जित संसाधनों का अनुमानित रूप से Rs.14,66,430/होने का अनुमान लगाया गया है। अभियुक्त की पत्नी श्रीमती. सुगुना एक घरेलू पत्नी है। ऐसा पाया गया है कि उसके पास अपनी आय का पर्याप्त स्रोत नहीं था

पोत (अभियुक्त का पुत्र) का नाम। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने उपरोक्त संपत्तियों को अपने नाम पर अर्जित किया है। उपरोक्त व्यक्तियों को उनकी बेनामी (बेनामी) के रूप में।

अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों की कुल आय और अभियुक्त और उसके परिवार का खर्च

उपर्युक्त अवधि (i.e.1.1.2002 से 29.2.2004)

अस्थायी रूप से क्रमशः रु. 8,84,486 और 1100,198 के रूप में निर्धारित किया गया था और इसलिए उपरोक्त अवधि के लिए कोई संभावित बचत नहीं थी और इसके विपरीत अभियुक्त की आय पर इस हद तक अतिरिक्त खर्च किया गया था कि

रु. 2,15,712 / - .

यह मानने के लिए आधार हैं कि उपरोक्त परिसंपत्तियां ज्ञात स्रोतों से परे और असमान हैं। उपरोक्त अवधि के लिए अभियुक्त की आय Rs.16,82,142 (Rs.14,66,430 + 2,15,712) की सीमा तक।

उपरोक्त जानकारी अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) के तहत दंडनीय लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के अपराध का खुलासा करती है और एक विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।

इसलिए मैं उपरोक्त अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ Cr.No.9/AC/2005/SL/SUV में मामला दर्ज कर रहा हूं।

जाँच शुरू करने का उद्देश्य।

(एस डीएक्सएक्सएक्स)

(K.PERIYASAMY)

डीएसपी, वी एंड एसी, विशेष। प्रकोष्ठ,

सलेम '। स्टेट थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

9. ऐसा प्रतीत होता है कि 16.10.2007 दिनांकित पत्र के माध्यम से जांच अधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से स्पष्टीकरण मांगा।

एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने दिनांकित पत्र 1.11.2007 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है या उसने कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है।

उसकी आय के ज्ञात स्रोत से असमान संपत्ति। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी पत्नी द्वारा 1990 से और साझेदारी फर्म द्वारा 1993 से दाखिल किए गए आयकर विवरणी को भी रिकॉर्ड में रखा।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच के दौरान भूमिका

प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या 1 की पत्नी के रूप में भी एक सहायक के रूप में सामने आई। 12. जाँच के समापन पर, जाँच एजेंसी ने ऊपर बताए गए अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीश, सलेम की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। आरोप-पत्र दाखिल करने का समापन इस प्रकार हुआ कि

विशेष न्यायाधीश, सलेम के न्यायालय में विशेष आपराधिक मामला सं. 36/2008 का पंजीकरण। 13. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं ने सी. आर. एल. को प्राथमिकता दी। एम. पी. सं. 87 और 2014 का 86 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 (संक्षेप में, 'दंड प्रक्रिया संहिता') के तहत निर्वहन की मांग करते हुए जवाब देता है।

अनिवार्य रूप से उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने के आधार पर मुकदमे से।

14. विशेष न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर दोनों उपरोक्त आवेदनों पर निर्णय दिया और उन्हें दो अलग-अलग आदेशों द्वारा अस्वीकार करने के लिए उचित समझा। सी. आर. एल. को अस्वीकार करते हुए। प्रतिवादी संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी) द्वारा दायर 2014 की एम. पी. संख्या 86 में विशेष न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 15. फिर भी याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया एक अन्य आधार यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा एस. के. मैट इंडस्ट्रीज में भागीदार होने और धन उधार देने का व्यवसाय करने से प्राप्त आय को जांच अधिकारी द्वारा उचित श्रेय नहीं दिया गया था और इस तरह जांच अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता के पास अपने नाम पर खड़ी संपत्तियों का अधिग्रहण करने और कथन II में वर्णित संपत्तियों का उपयोग करने के लिए कोई साधन नहीं है।

क्योंकि याचिकाकर्ता के नाम पर प्रथम अभियुक्त द्वारा अर्जित संपत्तियाँ पूरी तरह से गलत हैं। जाँच अधिकारी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कोई दस्तावेज़ [2022] 7 एस. सी. आर.

या तो याचिकाकर्ता या उसके पति द्वारा जांच के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा धन उधार देने का व्यवसाय करके प्राप्त आय को प्रदर्शित करने के लिए पेश किया गया था। वर्तमान आवेदन में भी याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई कानाफूसी नहीं की गई है। विवादास्पद मुद्दा कि क्या याचिकाकर्ता ने व्युत्पन्न किया

एस. के. मैट इंडस्ट्रीज से आय और धन उधार देने के व्यवसाय के माध्यम से आय का निर्णय केवल मुकदमे के दौरान इस संबंध में अदालत के समक्ष रखे गए साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए यह न्यायालय निर्णय देता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया उपरोक्त आधार एक पूर्व-परिपक्व है और इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

शुल्क तय करने का समय।

16. वर्तमान मामले में परिसंपत्तियों और धन का कुल मूल्य

जाँच अवधि के अंत में याचिकाकर्ता, उसके पति और बेटे द्वारा रखे गए संसाधनों की गणना जाँच अधिकारी Rs.31,69,498/- पर, जैसा कि कथन II में बताया गया है। जाँच के दौरान याचिकाकर्ता और उसके पति ने

चेक अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के नाम पर दर्ज संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए उसकी आय के स्रोत का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ता के आय-कर विवरणी के अलावा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता और उसके नाबालिग बेटे के नाम पर खड़ी संपत्तियों को याचिकाकर्ता की संपत्तियों के रूप में माना है।

याचिकाकर्ता के पति, प्रथम अभियुक्त, जिसे इस स्तर पर अधिक दोष नहीं पाया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता के पति ने

याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में तमिलनाडु सरकार के कर्मचारी आचरण नियमों के तहत संबंधित विभाग को जानकारी नहीं दी है। इसलिए यह अदालत निर्णय लेती है कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि याचिकाकर्ता के पति की संपत्ति के मूल्य की गणना करने में जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली

गलत है।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

18. जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री

अंतिम रिपोर्ट प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सभी अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करती है।

109 आई. पी. सी. के पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से किए जाने का आरोप v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

याचिकाकर्ता द्वारा। चूंकि अपराध के खिलाफ आरोप लगाया गया है

याचिकाकर्ता और उसका पति गंभीर प्रकृति के हैं

बिना मुकदमे का सामना किए और बिना मुकदमे के मुक्त नहीं होने दिया जा सकता

अभियोजन पक्ष को स्थापित करने का अवसर प्रदान करना

19. इसलिए आवेदन में शामिल सभी कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं के परिप्रेक्ष्य मूल्यांकन पर, यह अदालत निर्णय लेती है कि इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के बावजूद आधारहीन है। अतः यह न्यायालय निर्णय देता है कि

याचिकाकर्ता अनुरोध के अनुसार आरोपमुक्त करने के आदेश का हकदार नहीं है

के लिए "।

15. सी. आर. एल. को अस्वीकार करते हुए। विशेष न्यायाधीश ने आदेश संख्या 1 (पति) द्वारा दायर 2014 की एम. पी. संख्या 87 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 8. अब हम याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर विचार करें।

सीरियटम में।

I. आय-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कर विवरणी

जाँच अधिकारी द्वारा पत्नी पर विचार नहीं किया गया था

उचित दृष्टिकोण।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा प्रस्तुत आय-कर विवरणी के माध्यम से, जिसे मामले में दूसरे आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य मामले में, इसने संदेह से परे स्थापित किया कि याचिकाकर्ता की पत्नी के पास विवरण II में उल्लिखित संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए पर्याप्त स्रोत थे, लेकिन जांच अधिकारी ने आय-कर विवरणों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए इन संपत्तियों को माना है।

याचिकाकर्ता की पत्नी का नाम उसकी संपत्ति के रूप में

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने खरीदा है

उसकी पत्नी के नाम की संपत्तियाँ बेनामी हैं और इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित संपत्तियों के कुल मूल्य पर पहुंचने के लिए जांच अधिकारी द्वारा की गई गणना

रुपये में चेक अवधि। 28,23,492 / - जैसा कि कथन V में दिया गया है, यह सरासर गलत है। जैसा कि पहले से ही इस तथ्य की ओर इशारा किया गया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी, दूसरा आरोपी एक आय-कर निर्धारिती है और उसने संबंधित आय-कर अधिकारियों को अपनी आय-कर विवरणी जमा की थी, इस पर

नियमित रूप से कोई गंभीर विवाद नहीं है। याचिकाकर्ता [2022] 7 एस. सी. आर. को प्रभावित करने के लिए एक कुशल प्रयास कर रहा है।

विवरणी स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की पत्नी की संपत्ति खरीदने की वित्तीय क्षमताओं को स्थापित करती है और इसलिए याचिकाकर्ता की पत्नी के नाम पर खड़ी संपत्तियों को उसकी पत्नी की स्व-अर्जित संपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता।

11. (II)। याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा धन के माध्यम से प्राप्त आय

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी पत्नी, दूसरी आरोपी, धन उधार देने का व्यवसाय करके बड़ी आय अर्जित कर रही थी लेकिन जांच अधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था और इस तरह जांच अधिकारी द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा गया था

अधिकारी ने कहा कि दूसरा अभियुक्त उसके नाम पर खड़ी संपत्तियों का प्रत्यक्ष मालिक है और याचिकाकर्ता उक्त संपत्तियों का वास्तविक मालिक है, यह बिल्कुल गलत है। जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि तथाकथित धन उधार देने वाले व्यवसाय के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है

जाँच के दौरान या तो याचिकाकर्ता या उसकी पत्नी द्वारा उसके सामने पेश किया गया था। वर्तमान आवेदन में भी याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया है कि उसकी पत्नी और उसके द्वारा किए गए धन उधार देने के व्यवसाय को स्थापित करने के लिए दस्तावेज हैं।

उक्त व्यवसाय के माध्यम से उसके द्वारा प्राप्त आय। इस विवादास्पद मुद्दे पर कि क्या याचिकाकर्ता पत्नी धन उधार देने का व्यवसाय करके आय अर्जित कर रही थी, इस संबंध में रखे गए साक्ष्य के आधार पर ही मुकदमे के दौरान निर्णय लिया जा सकता है। अतः यह न्यायालय निर्णय करता है कि द्वारा उठाए गए उपरोक्त विवाद

याचिकाकर्ता पूर्व-परिपक्व है और इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

शुल्क तय करने के चरण में। मामले में शामिल कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं के परिप्रेक्ष्य मूल्यांकन पर, यह अदालत निर्णय लेती है कि याचिकाकर्ता का आदेश के लिए दावा

आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता की पत्नी के नाम पर खड़ी संपत्तियों के साथ व्यवहार करने में गलती की है क्योंकि याचिकाकर्ता की संपत्तियों को धन उधार देने के व्यवसाय के माध्यम से याचिकाकर्ता की पत्नी की अलग आय की अनदेखी करना कानून के तहत टिकाऊ नहीं है।

12. (III)। जाँचकर्ता द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली

टी. ई. थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस में निहित परिसंपत्तियों के कुल मूल्य पर पहुंचने में अधिकारी V.

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

चेक अवधि के अंत में याचिकाकर्ता का नाम

त्रुटिपूर्णः

याचिकाकर्ता के अनुसार आय

एस. के. मैट इंडस्ट्रीज के अलावा याचिकाकर्ता की पत्नी रुपये की प्रासंगिक अवधि के दौरान। 5,90,342 / - लेकिन जांच अधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है, भले ही

याचिकाकर्ता की पत्नी, दूसरे आरोपी सुगुआन द्वारा प्रस्तुत आयकर विवरणी में भी यही बताया गया है। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता की पत्नी और बेटे की संपत्तियों को कथन II में पूरी तरह से वर्णित किया जाना चाहिए था, लेकिन अजीब तरह से जांच अधिकारी ने इसे शामिल किया है, जो फिर से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गणना उचित रूप से नहीं की गई है। उपरोक्त दलीलों के आधार पर याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को चुनौती देते हुए आदेश की मांग की है - निर्वहन। जैसा कि इस आदेश के पहले भाग में विस्तार से चर्चा की गई है, यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता की पत्नी और बेटे के नाम पर खड़ी संपत्तियां वास्तव में उनकी स्व-अर्जित संपत्तियां हैं या क्या वे संपत्तियां वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के माध्यम से अधिग्रहित की गई थीं, इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही मुकदमे के समय तय किया जा सकता है। चूंकि याचिकाकर्ता की पत्नी और बेटे के नाम पर खड़ी संपत्तियों की प्रकृति इस स्तर पर तय नहीं की जा सकती है, इसलिए कल्पना के किसी भी स्तर पर यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली

जाँच अधिकारी द्वारा जाँच अवधि के अंत में याचिकाकर्ता के नाम पर मौजूद परिसंपत्तियों और वित्तीय संसाधनों के कुल मूल्य पर पहुँचना गलत है।

13. इसलिए ऊपर उल्लिखित सुरेश राजन के मामले में हमारे शीर्ष न्यायालय द्वारा प्रस्तावित कानून के सिद्धांतों के पिछले हिस्से में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, यह

अदालत ने फैसला किया कि याचिकाकर्ता आरोप लगाते हुए आरोपमुक्त करने के आदेश का हकदार नहीं है कि द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली

जाँच अधिकारी गलत है।

14. वर्तमान मामले में जाँच अवधि के अंत में याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और आर्थिक संसाधनों का कुल मूल्य जाँच अधिकारी द्वारा 69,498/- पर गणना किया गया है जैसा कि स्टेटमेंट [2022] 7 एस. सी. आर. में निर्धारित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

II. मामले की जांच के दौरान, याचिकाकर्ता ने नहीं किया है

जाँच अधिकारी के सामने किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करना

आय को छोड़कर-अपनी पत्नी, दूसरे अभियुक्त की कर विवरणी, याचिकाकर्ता की पत्नी की आय के स्रोत का पता लगाने के लिए उसके नाम पर खड़ी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए। इसलिए जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता की पत्नी और उसके बेटे के नाम पर खड़ी संपत्तियों को याचिकाकर्ता की संपत्तियों के रूप में माना, जिसमें इस स्तर पर अधिक दोष नहीं पाया जा सकता है।

जब याचिकाकर्ता ने अधिग्रहण का खुलासा नहीं किया है

उसकी पत्नी द्वारा संबंधित विभाग को आवश्यकतानुसार संपत्तियाँ

तमिलनाडु सरकार के तहत कर्मचारी नियमों का पालन करते हैं।

इसलिए यह अदालत, इस स्तर पर, निर्णय देती है कि कोई नहीं है

याचिकाकर्ता के तर्क में सार है कि

जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली

याचिकाकर्ता की परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना करना गलत है।

15. निष्कर्षः

जाँच अधिकारी द्वारा रखी गई सामग्री

अंतिम रिपोर्ट के साथ इसके खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा होता है

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत कथित अपराध करने का याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता के अपराध या अन्यथा का फैसला अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य देने का अवसर देकर किया जाना चाहिए। जाँच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ रखी गई सामग्री प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) के तहत अपराध का गठन करने वाले सभी आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करती है। इसलिए यह अदालत फैसला करती है कि याचिकाकर्ता इसके लिए हकदार नहीं है

निर्वहन का आदेश।

16. परिणामस्वरूप आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

16. इस प्रकार, यहां न्यायाधीशों द्वारा दायर आरोपमुक्त करने के आवेदनों को खारिज करते हुए, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने एक स्पष्ट एन. जी. दर्ज किया कि अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया एक से अधिक मामले थे। विद्वान विशेष ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि

न्यायाधीश व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को आधारहीन नहीं कहा जा सकता है ताकि धारा 239 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन पक्ष से आरोप मुक्त किया जा सके।

सीआरपीसी।

स्टेट थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

17. प्रतिवादी, विशेष अदालत द्वारा उनके आरोपमुक्त करने के आवेदनों को खारिज करने के आदेशों से असंतुष्ट होकर, अदालत के समक्ष गए।

उच्च न्यायालय और आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या दायर करके आदेशों को चुनौती दी। 702 और 2016 का 703 जवाब। दोनों संशोधन

आवेदनों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा समान रूप से की गई और सामान्य विवादित निर्णय और दिनांक 27.04.2017 के आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी गई। एतऽ प्रतिवादीसभकेँ अभियोजन पक्षसँ आरोपमुक्त कऽ देल गेल। पुनरीक्षण आवेदनों को अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 41. सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि जांच अधिकारी ने पहले अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया था और न ही किसी भी संपत्ति को ध्यान में रखा था।

याचिकाकर्ता/अल और ए 2।

42. इस न्यायालय ने विवादित आदेशों के साथ-साथ सूचीबद्ध गवाहों के बयानों का भी अध्ययन किया है। जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में पहले ही चर्चा की गई है और जैसा कि महाराष्ट्र राज्य बनाम वासुदेव (ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1186:19813 एस. सी. 199) में निर्णय लिया गया है, ऊपर उद्धृत किया गया है, अभियुक्त पर डाले गए बोझ की प्रकृति और सीमा अच्छी तरह से तय की गई है और अभियुक्त सभी उचित संदेह से परे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बाध्य नहीं है। वह सब

संभावना की प्रधानता को सामने लाना होगा। जहाँ तक इस मामले का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने अपने मामले को स्थापित करने के माध्यम से संभावना की प्रमुखता को सामने लाया है। जैसा कि धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के स्पष्टीकरण में कहा गया है, याचिकाकर्ताओं ने विधिसम्मत स्रोत से प्राप्त अपनी आय को आयकर विभाग को सूचित कर दिया है।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारी, जो कि प्रथम अभियुक्त लोक सेवक होने के नाते अपनी आय के ज्ञात स्रोत को सूचित करने के लिए लागू होता है और इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया यह पता लगाने में बुरी तरह विफल रहा है।

याचिकाकर्ताओं/एएल और ए 2 के खिलाफ मामला।

43. यह मुख्य सिद्धांत है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा दोषी साबित नहीं किया जाता है और अभियुक्त हर उचित संदेह के लाभ का हकदार है। इस प्रकार, गलत जानकारी देना या अपनी बेगुनाही साबित करने में विफल रहना अभियुक्त की दोषसिद्धि और [2022] 7 एस. सी. आर. के आधार पर कोई आधार नहीं है।

इसके विपरीत यह अपराध के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

न्यायशास्त्र जो अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर बोझ डालता है।

44. आपराधिक मामलों में, अपराध को किसी भी उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति के साथ एक उचित व्यक्ति

समझदारी हो सकती है। वहाँ होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि

अभियुक्त दोषी है या नहीं। यदि थोड़ा सा भी संदेह हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो लाभ अभियुक्त को जाएगा। भारतीय कानूनी प्रणाली में सबूत के बोझ के बारे में प्रावधान और कैसे

जिनका निर्वहन किया जाना है, वे साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अध्याय VII में भव्यता से निर्धारित हैं। नियम यह है कि जो कोई भी किसी तथ्य का आरोप लगाता है, उसे उसे साबित करना होगा। आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष ही आरोप लगाता है कि आरोपी ने आवश्यक पुरुष कारण के साथ अपराध किया है और इसलिए इसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

45. जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में देखा गया है कि अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बाध्य नहीं है

सन्देह हो रहा है। उसे बस इतना करना है कि एक प्रमुखता को सामने लाना है।

संभाव्यता। ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्यांश 'प्रायिकता की प्रधानता' चार्लेस आर. कूपर वी से लिया गया है।

F.W.Slade, (1857-59) 6 HLC 746। उसमें की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि 'संभावना की प्रधानता' क्या है? मतलब 'मामले का अधिक संभावित और तर्कसंगत दृष्टिकोण है', आवश्यक रूप से उतना निश्चित नहीं है जितना अभिवचन होना चाहिए।

46. धारा 397 (1) एक प्रकार की पर्यवेक्षी शक्ति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य न्याय की विफलता को ठीक करना है। मुख्य बात

विचार यह था कि क्या पर्याप्त न्याय किया गया था क्योंकि यह धारा सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय (आपराधिक) दोनों को पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता प्रदान करती है। कोई भी इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह पर्यवेक्षी प्रदान करता है।

अधिकार क्षेत्र। जब निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट अवैधता होती है, तो संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

47. संहिता की धारा 401 के प्रावधानों पर आते हुए, जैसा कि समझा जाता है, इस धारा के पीछे का उद्देश्य सशक्त बनाना है

उच्च न्यायालय उन मामलों में न्याय की विफलता को रोकने के लिए एक अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जहां संहिता नहीं है

अपील का प्रावधान करें।

टी थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

48. हालाँकि, शक्ति का प्रयोग केवल उन असाधारण मामलों में किया जाना है जहाँ न्याय की विफलता हुई है -

:

आई.

((ii) कानून के किसी बिंदु पर एक स्पष्ट त्रुटि; ((ग) अतिरिक्त अधिकारिता,

((iv) सत्ता का दुरुपयोग, और

(v) जहाँ वह निर्णय जिस पर विचारण न्यायालय ने भरोसा किया है

जब से पुनरीक्षण याचिका को उलट दिया गया या खारिज कर दिया गया

सुना जा रहा था। 49. जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने एम. पी. बनाम राज्य के मामले में कहा है।

S.B.Johari, (AIR 2000 SC 665: (2000) 2 धारा 57: 2000 एससीसी (सी. आर. एल.) 311: 2000 Crl.L.J.944), आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा आरोप को रद्द करना

50. इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, इस न्यायालय पर विचार किया जाता है। राय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई मामला नहीं बनाया है

याचिकाकर्ताओं/ए. एल. और ए. 2 के खिलाफ आगे बढ़ना। 51. परिणामस्वरूप, आपराधिक पुनरीक्षण मामला सं। 702 और 2016 के 703 की अनुमति है और विवादित आदेश, दिनांक 29.03.2016

और विशेष में 2014 के Crl.M.P.Nos.87 और 86 में बनाया गया

विद्वान विशेष न्यायाधीश की फाइल पर 2014 का CC.No.76

(भ्रष्टाचार के मामलों के लिए), सलेम को अलग कर दिया जाता है और याचिकाएं दायर की जाती हैं

2014 के विशेष CC.No.76 में Crl.M.P.Nos.87 और 86 में 2014 अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ताओं/ए. एल. और ए. 2 को आरोपमुक्त कर दिया जाता है।

आरोपों के चंगुल से "।

18. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित मामलों में आरोपमुक्त करने का विचार किया।

क) जांच अधिकारी ने आरोपों के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने से गलत तरीके से इनकार कर दिया और वैध को ध्यान में रखने में भी विफल रहा।

उत्तरदाताओं की परिसंपत्तियाँ।

ख) अभियुक्त व्यक्तियों ने अपनी आय का खुलासा किया था

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण और ऐसी परिस्थितियों में, कोई प्रथम दृष्टया नहीं कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ मामला बनाया गया था।

ग) अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन में अभियुक्त, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, केवल कथित अपराधों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है।

उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति

संभावना की प्रधानता का सिद्धांत।

घ) जैसा कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं कहा जा सकता है

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध, वे पर्याप्त न्याय करने के लिए पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन पक्ष से आरोपमुक्त होने के हकदार हैं।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण वर्तमान अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ऐप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

20. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वी. कृष्णमूर्ति ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने में गंभीर त्रुटि की।

अभियोजन पक्ष। वह प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण, विशेष रूप से यह निष्कर्ष कि "जब अभियोजन एजेंसी

एक विशिष्ट अवसर के साथ आगे आया है, कि याचिकाकर्ताओं ने संपत्ति अर्जित की है जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से असमान है, अभियोजन पक्ष की ओर से यह दायित्व है कि वे अभियोग को सभी से परे और त्रुटिहीन साक्ष्य के साथ साबित करें।

उचित संदेह, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निश्चित रूप से उनके निजी अधिकारों को प्रभावित करेंगे और उनके आत्म सम्मान को भी "गलत और अस्थिर" है।

21. वह प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय ने गलती से एक

अभियोजन पक्ष पर आरोप तय करने के स्तर पर भी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने का बोझ है। आरोप तय करने से पहले या आरोपमुक्त करने के स्तर पर जांच के दायरे और दायरे को इस न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।

22. वह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से राज्य में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए घोर गलती की है।

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उनके बचाव जैसे कि ए 2 के आयकर आकलन और अन्य अभिलेख, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि उसमें प्रकट की गई संपत्तियों को विचार से हटा दिया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को देखने की प्रथा को इस न्यायालय द्वारा उड़ीसा राज्य बनाम के मामले में अनुमोदित नहीं किया गया है। देवेंद्र नाथ पाधी, (2005) 1 एस. सी. सी. 568।

23. उन्होंने कहा कि कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त करने के लिए दायर आवेदनों पर विचार करते हुए एक छोटा मुकदमा चलाया था

अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा। दूसरे शब्दों में, आरोप तय करने के चरण में, घूमना और मछली पकड़ने की जांच की अनुमति नहीं है और यह दोषपूर्ण होगा

कोड का उद्देश्य। 24. अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य में इस न्यायालय द्वारा निरीक्षक द्वारा दिए गए कथन की अनदेखी की।

पुलिस, सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी बनाम एन. सुरेश राजन और अन्य, (2014) 11 एस. सी. सी. 709 @721 पैरा 29, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" यह मामूली बात है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, अदालत को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री सही है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे सामने आने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। इस स्तर पर, सामग्री के संभावित मूल्य में जाना होगा और अदालत से मामले में गहराई से जाने और यह मानने की उम्मीद नहीं की जाती है कि सामग्री

दोषसिद्धि की गारंटी नहीं होगी। हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अनुमान लगाने का कोई आधार है।

कि अपराध किया गया है और न कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने का आधार बनाया गया है। इसे रखने के लिए

अलग तरह से, यदि अदालत सोचती है कि आरोपी ने अपराध को उसके संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोपी ने अपराध किया है। कानून इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है।

25. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उनकी दो अपीलों, [2022] 7 एस. सी. आर. में योग्यता हो।

इनकी अनुमति दी जा सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को दरकिनार किया जा सकता है।

अभियुक्त के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

26. दूसरी ओर अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन ने दोनों अपीलों का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष से मुक्त करने के विवादित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

27. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि इसके बिना

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए और अपनी पत्नी (दूसरे अभियुक्त) से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना,

अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) और आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने एन. सुरेश राजन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कानून के एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया कि आयकर निर्धारिती के नाम पर कोई भी संपत्ति, अपने आप में, एक आय कर निर्धारिती नहीं हो सकती है।

यह मानने का आधार कि ऐसी संपत्ति निर्धारिती की है।

28. वे प्रस्तुत करेंगे कि यह न्यायालय एन. सुरेश राजन (ऊपर) में है।

एक तथ्यात्मक स्थिति से निपट रहा था जिसमें अभियुक्त के माता-पिता जिनके पास संपत्ति थी, उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था, जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में है, जहां प्रतिवादी की पत्नी एक वाणिज्य स्नातक और एक उद्यमी है। आय का उनका अपना स्वतंत्र स्रोत है और उन्होंने अपनी आय से संपत्ति खरीदी थी और उनमें से एक उनके पिता द्वारा उपहार में दी गई थी। वह वर्ष 1990 से आयकर निर्धारिती रही हैं और नियमित रूप से अपना आयकर विवरणी दाखिल कर रही हैं।

29. वह प्रस्तुत करेगा कि जाँच अधिकारी विफल रहा

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करें। महाराष्ट्र राज्य बनाम वासुदेव रामचंद्र कैदलवार, (1981) 3 एस. सी. सी. 199 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त पर डाले गए बोझ की प्रकृति और सीमा उसकी बेगुनाही को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए नहीं है। अभियुक्त कानूनी रूप से केवल संभावना की प्रधानता पर स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है।

जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, उत्तरदाताओं ने अपने मामले को स्थापित करने के माध्यम से संभावना की प्रमुखता को सामने लाया है।

30. विद्वान वकील ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में कहा है कि

इसके अंतर्गतः

रौघ डिपार्टमेंट सुपरिनटेंट ऑफ पुलिस v. साउन्डिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

टीएमटी की आय। प्रतिवादी आर. सौन्दिरारासु की पत्नी सुगुना को उनके साथ नहीं जोड़ा जा सका। उसके पति की आय जब वह विशेष रूप से

आय का स्वतंत्र स्रोत और आयकर का भुगतान करता है।

इसके अलावा, जांच अधिकारी ने बुलाया है

प्रतिवादी आर. सौन्दिरारासु से स्पष्टीकरण, जिस पर आई. ओ. द्वारा विचार नहीं किया गया था। हालांकि, आई. ओ. ने स्पष्टीकरण नहीं मांगा है।

टीएमटी। सुगुना। आई. ओ. का यह दृष्टिकोण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। इस माननीय न्यायालय ने डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य (2008) 3 एस. सी. सी. 542 के मामले में यह निर्णय दिया है कि कोई भी न्यायिक आदेश कभी भी किसी भी अदालत द्वारा बिना कोई प्रावधान किए पारित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को सुनने का उचित अवसर

इस तरह के आदेश से प्रभावित होने की संभावना है और विशेष रूप से जब इस तरह के आदेश के कठोर परिणाम होते हैं

अपनी प्रतिष्ठा को प्रभावित करना।

उत्तरदाता-आर। सौन्दिरारासु ने अपने स्पष्टीकरण में समझाया था कि उनकी पत्नी टीएमटी। सुगुना के पास आय का स्वतंत्र स्रोत है। वह एक वाणिज्य स्नातक हैं और 23.10.1993 से प्रभावी आर. कुमार के साथ एस. के. मैट इंडस्ट्रीज में भागीदार थीं। साझेदारी को 31.3.2003 पर भंग कर दिया गया था और उसके बाद वह एकमात्र मालिक के रूप में बनी रही। वह 1990 से आयकर का भुगतान कर रही थीं और उनके आईटी रिटर्न की उचित अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। चेक अवधि के अंत के बाद भी वह नियमित रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करती थीं।

यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारी आयकर प्राधिकरण के साथ-साथ प्रतिवादी आर. सौन्दिरारासु दोनों से आवश्यक विवरण एकत्र करते समय उन पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहे थे जो यह स्थापित करते हैं कि उनकी पत्नी टी. एम. टी. सुगुना ने अपनी आय से संपत्ति अर्जित की थी। लेकिन जाँच [2022] 7 एस. सी. आर.

अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट में गलती से कहा है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था और उसके पिता के पास भी संपत्ति हासिल करने का कोई साधन नहीं था।

15. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथन संख्या 1 को संलग्न किया गया है

आई. डी. 1 दिनांकित पत्र और आरोप पत्र वे परिसंपत्तियाँ और आर्थिक संसाधन हैं जो प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों को श्रेय देते हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार जाँच अवधि से निर्धारित की गई है

1.1.2002 31.3.2004 तक। बयान संख्या 1 में 14 वस्तुओं को दिखाया गया है। जहाँ तक कथन I का संबंध है,

मद संख्या, 01,02,08,10,12 और 14 में उल्लिखित संपत्तियां विशेष रूप से उनकी पत्नी के निवेश हैं।

अपने संसाधन। 16. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक कथन II का संबंध है।

मद 1, घर रुपये की लागत से बनाया गया था। 4,15,344 / - प्रत्यर्थी की पत्नी टीएमटी द्वारा। एस. के. मैट से प्राप्त अपने स्वतंत्र संसाधनों से एस. सुगुना उद्योग और अन्य आय और एल. आई. सी. वित्त आवास ऋण।

वस्तु संख्या 2 को प्रत्यर्थी की पत्नी ने खरीदा था

एस. के. मैट इंडस्ट्रीज से प्राप्त उनकी स्वतंत्र आय। मद सं। 12 , भूमि का माप 0.67 है। सेलम जिले के ओमलूर तालुक के एम. चेट्टीपट्टी में स्थित सर्वेक्षण संख्या 12/1Q में शामिल 1⁄2 सेंट प्रत्यर्थी को विरासत में मिले थे।

माँ कृष्णम्मल और बाद में इस संपत्ति को अपने तीन बेटों के पक्ष में बसाया और इस तरह उन्हें एक तिहाई हिस्सा मिला।

वस्तु संख्या 13 प्रत्यर्थी के पिता द्वारा खरीदी गई थी -

कानून थिरू। टी. दुरैसामी अपने संसाधनों के साथ और बाद में धन समझौते के माध्यम से अपने बेटे थिरू को उपहार में दिया। S.S.Saran कुमार 16.02.2004 पर। इस संपत्ति को उपहार के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके मूल्य को वक्तव्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

मद सं. 14, प्रत्यर्थी की पत्नी टी. एम. टी. को विरासत में मिली थी। S.Suguna धना समझौते के आधार पर।

रौघ डिपार्टमेंट सुपरिनटेंट ऑफ पुलिस v. साउन्डिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वस्तु संख्या 15 प्रत्यर्थी की सास द्वारा खरीदी गई थी। डी. शांता नाम में अपने स्वयं के धन से

और यह कि न तो उसने और न ही उसकी पत्नी ने इस लेन-देन में कोई पैसा लगाया था।

मद सं। 17 , 18 , उत्तरदाता की पत्नी टी. एम. टी. द्वारा खरीदे गए थे। एस. सुगुना अपने संसाधनों से।

मद 19,21 प्रत्यर्थी की पत्नी टी. एम. टी. से संबंधित हैं। एस. सुगुना और इसके लिए प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूची III की मद 2,3,4,5 प्रत्यर्थी की पत्नी टीएमटी से संबंधित हैं। एस. सुगुना और

इसका श्रेय प्रत्यर्थी को नहीं दिया जा सकता है।

18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथन IV के संबंध में,

मद संख्या 2, एल. आई. सी. के पुनर्भुगतान के लिए व्यय

रुपये की सीमा तक आवास ऋण। 1,19, 934.30 प्रत्यर्थी के खर्च को ऋण के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है

इसका लाभ उठाया गया और उनकी पत्नी टी. एम. टी. द्वारा चुकाया गया। एस. सुगुना अपने संसाधनों से।

प्रत्यर्थी का खाता, क्योंकि ऋण उसकी पत्नी द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया गया था और अब तक उसके द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से ब्याज के साथ चुकाया गया था। वस्तु संख्या 5, रुपये का टेलीफोन शुल्क। 26,854 / - उत्तरदाता की पत्नी द्वारा अपने संसाधनों से भुगतान किया गया था।

मद सं. 10, गृह कर का भुगतान प्रत्यर्थी द्वारा किया गया था।

पत्नी अपने ही संसाधनों से।

मद सं. 09, लेनदेन प्रत्यर्थी से संबंधित है। पत्नी। इसलिए, नुकसान में नहीं दिखाया जाना चाहिए था

उत्तरदाता का खाता।

वस्तु संख्या 11 श्री राम चिट्स की सदस्यता प्रतिवादी की पत्नी द्वारा अपने संसाधनों से बनाई गई थी। वस्तु संख्या 12 गणपति में घर के लिए गृह कर

उत्तरदाता की पत्नी द्वारा अपने संसाधनों से भुगतान किया जाता है।

viii. मद सं. 14, प्रत्यर्थी की पत्नी द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से भुगतान किया गया आयकर उसके विवरण में दिखाया गया है।

खाता।

19. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई गणना गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सही गणना जैसा कि प्रतिवादी द्वारा समझाया गया है

उनकी व्याख्या इस प्रकार है - परिसंपत्तियों का मूल्य जो प्रत्यर्थी के ऋण के बराबर था

आई.

साथ ही चेक अवधि की शुरुआत में उनके परिवार के सदस्यों के क्रेडिट के लिए रु। 1,31,254 / - .
उन परिसंपत्तियों का मूल्य जो प्रत्यर्थी के ऋण के बराबर थी

ii.

साथ ही चेक अवधि के अंत में उनके परिवार के सदस्यों के क्रेडिट के लिए रु। 1,37,430 / इसलिए, चेक के दौरान अर्जित परिसंपत्तियों का मूल्य

iii.

अवधि रु। 6,176 / - .

उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त आय

iv.

चेक अवधि रु। 3,11,547 / - .

चेक अवधि के दौरान खर्च रु। 1,91,910 / - .

वी. vi. इस प्रकार, चेक अवधि के दौरान बचत रु।

1,19, 636.80

अतः, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी (आर. सौन्दिरारासु) द्वारा अर्जित परिसंपत्तियाँ उसकी आय के ज्ञात स्रोत से असमान नहीं हैं।

20. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवादी (आर.

सौन्दिरारासु) ने तमिलनाडु सरकारी सेवक आचरण नियम 1973 के प्रावधानों को संशोधित के रूप में संदर्भित किया है। सितंबर 2006 तक, नियम 7 (1) (ए), जो इस प्रकार हैः

(1) (क) कोई भी सरकारी कर्मचारी, निर्धारित प्राधिकारी को सूचना देने के बाद के अलावा, पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार, विनिमय या अन्यथा अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान नहीं करेगा।

इस तरह की सूचना तब भी आवश्यक होगी जब पुलिस विभाग के अधीक्षक के माध्यम से परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है।

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सरकारी संसाधनों से बाहर सरकारी कर्मचारी

नौकरः बशर्ते कि अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होगी।

सरकार द्वारा सौंपे गए आवास-स्थल के संबंध में संपत्ति

सरकारी कर्मचारी के पक्ष में।

स्पष्टीकरण-एक सरकारी कर्मचारी को खंड (ए) के तहत अपने परिवार के सदस्यों द्वारा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण या निपटान के लिए निर्धारित प्राधिकारी को नोटिस देने या निर्धारित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, यदि विचाराधीन अचल संपत्ति संबंधित सरकारी कर्मचारी के संसाधनों से अर्जित नहीं की गई है।

आई. ओ. को संपत्तियों और अन्य संसाधनों को ध्यान में रखने से पहले इस प्रावधान पर विचार करना चाहिए था। 21. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों का पालन करते हुए मामले का फैसला किया है। उच्च न्यायालय ने केवल आरोप पत्र में दी गई सामग्री को देखा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

उच्च न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने सामग्री और प्रतिवादी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की जांच नहीं की है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री से सामने आए तथ्यों की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम दृष्टया अभिलेख पर सामग्री उत्तरदाताओं के खिलाफ कथित अपराधों का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा नहीं करती है। उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि

अंतिम रिपोर्ट के साथ टैग किए गए साक्ष्य भी अंतिम रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुरूप नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि

न्याय की विफलता को रोकने और अभियुक्त के कारण हुए पूर्वाग्रह को मिटाने के लिए अभियुक्त

प्रथम अभियुक्त द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में और दूसरे अभियुक्त से स्पष्टीकरण मांगे बिना प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश [2022] 7 एस. सी. आर. के निष्कर्ष के कारण भी पूर्वाग्रह पैदा होता है।

कि दूसरे अभियुक्त के पास अलग और स्वतंत्र स्रोत है आय "।

(जोर दिया गया)

ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील

राज्य द्वारा दायर दो अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण,

बर्खास्त किया जा सकता है।

31. यदि हमें मामले के संबंध में एक उचित विचार देना है

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंडादेश, हम निम्नानुसार कर सकते हैं:

(अ)

कथन संख्या 1, अर्थात परिसंपत्तियों में 14 मदें दर्शाई गई हैं।

और आर्थिक स्रोत जो अभियुक्त के श्रेय के लिए खड़े थे

और चेक अवधि की शुरुआत में उनके परिवार के सदस्य अर्थात, 01.01.2002 जैसे कि भूमि, आवास स्थल, शेयर, रत्न

और अन्य चल वस्तुओं का मूल्य रु. 3,46,006-00 है।

(ख)

बयान संख्या में 21 आइटम दिखाए गए हैं। II अर्थात परिसंपत्तियाँ

और आर्थिक स्रोत जो अभियुक्त के श्रेय के लिए खड़ा था

और चेक अवधि के अंत में उसके परिवार के सदस्य

31.03.2004 पर, जिसका मूल्य रु। 31,69,498-00 .

((ग)

कथन संख्या में 6 आइटम दिखाए गए हैं। III आय के रूप में

अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा व्युत्पन्न

जाँच अवधि अर्थात, 01-01-2002 से 31-03-2004, पर गणना की गई

रु. 9,97,888-00 .

((घ)

कथन संख्या में 15 आइटम दिखाए गए हैं। IV अर्थात,

अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया खर्च

शुल्क, आवास ऋण, एल. आई. सी. प्रीमियम, टेलीफोन शुल्क आदि की गणना रुपये में की जाती है। 6,16,376-50 .

(ई)

अभियुक्त और उसके परिवार द्वारा अर्जित संपत्ति का मूल्य

चेक अवधि के अंत में सदस्य अर्थात 31-03-2004 के रूप में कथन सं. में दिखाया गया है। वी रुपये में है। 28,23,492-00 (अर्थात रु.

31,69,498 (-) रु. 3,46,006-00) .

अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों की संभावित बचत

(च)

रु. में आया। 3,81,512-00 (अर्थात,) रु। 9,97,888-00 (-) रु. 6,16,376-50) .

स्टेट थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अभियुक्त द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य

(जी)

और उनके परिवार के सदस्य, जैसा कि वक्तव्य सं. VII

इसकी गणना रुपये में की जाती है। 24,41,980-00 .

द्वारा अर्जित अनुपातहीन परिसंपत्तियों का प्रतिशत

(ज)

अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों की आय के ज्ञात स्रोतों की गणना 244.71% (Rs.24,41,980-00) पर की जाती है।

रुपये से विभाजित. 9,97,888-00 को 100 से गुणा करें)।

इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्त संख्या 1 (लोक सेवक) के कब्जे में पाया गया था उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति रु। 24,41,980 / - 31.03.2004 पर।

विश्लेषण

32. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने कोई अपराध किया है। दोनों अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त करने में त्रुटि?

33. हमें यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश पूरी तरह से समझ से बाहर हैं। हम विस्तार से बताएँगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

34. अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई) जिसमें उसका स्पष्टीकरण भी शामिल है, निम्नानुसार हैः

" 13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार।

(1) एक लोक सेवक को आपराधिक अपराध करने वाला कहा जाता है।

दुराचार,

(ङ) यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति कब्जे में है या अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय कब्जे में रहा है।

जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है,

उसके लिए आनुपातिक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का

आय के ज्ञात स्रोत।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ज्ञात

आय के स्रोत का अर्थ है किसी वैध से प्राप्त आय। स्रोत और ऐसी रसीद को [2022] 7 एस. सी. आर. के अनुसार सूचित किया गया है।

किसी लोक सेवक पर तत्काल लागू होने वाले किसी भी कानून, नियमों या आदेश के प्रावधानों के साथ।

35. धारा 13 (1) (ई) का स्पष्टीकरण "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है और कहता है कि इस अभिव्यक्ति का अर्थ है -

किसी भी वैध स्रोत से प्राप्त आय और यह भी आवश्यक है कि रसीद को लोक सेवक द्वारा किसी लोक सेवक पर लागू होने वाले कानून, नियमों या आदेशों के किसी भी प्रावधान के अनुसार सूचित किया गया हो। यह स्पष्टीकरण भ्रष्टाचार निवारण में नहीं था। अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, "अधिनियम 1947")। इस तथ्य को जगन एम. शेषाद्री बनाम में ध्यान में रखते हुए। तमिलनाडु राज्य, (2002) 9 एस. सी. सी. 639, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की हैः

" 7. 1988 के अधिनियम की धारा 30 (2) को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई कार्रवाई, निरस्त अधिनियम के तहत या उसके अनुसरण में की गई है या की गई है।

अधिनियम, जहाँ तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, यह माना जाएगा कि अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत या उनके अनुसरण में किया गया है या लिया गया है। यह. 1947 के अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर धारा 13 को प्रतिस्थापित नहीं करता है। धारा 30 (2) "सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के अनुप्रयोग पर पूर्वाग्रह के बिना" लागू होती है। हमारी राय में, 1988 के अधिनियम की धारा 13 का अनुप्रयोग

तथ्य यह है कि वर्तमान मामले की स्थिति सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन करेगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि निरसन (i) किसी भी मामले के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

इस प्रकार निरसित अधिनियम या कुछ भी विधिवत किया गया या पीड़ित किया गया

इसके तहत, या (ii) किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही को प्रभावित करता है।

या ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दंड, ज़ब्त या सजा के संबंध में उपचार। धारा 13, दोनों में

धारा 13 (1) (ई) 1947 के अधिनियम की धारा 5 से भौतिक रूप से अलग है। के तहत उठाए जाने की अनुमति दी गई धारणा 1947 के अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) के तहत धारा 13 (1) (ई) का स्पष्टीकरण उठाने के लिए उपलब्ध नहीं था। इस अंतर का मामले पर एक भौतिक असर हो सकता है।

36. अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई) के स्पष्टीकरण में "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने का प्रभाव है।

अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई) में। अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई) के स्पष्टीकरण में दो भाग हैं।

पहले भाग में कहा गया है कि स्टेट थ्रू डिपार्टमेंट सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

आय के ज्ञात स्रोतों का अर्थ है किसी वैध स्रोत से प्राप्त आय और दूसरे भाग में कहा गया है कि ऐसी रसीद लोक सेवक द्वारा उस समय के लिए कानून, नियमों और आदेशों के प्रावधानों के अनुसार सूचित की जानी चाहिए थी जो लोक सेवक पर लागू होते हैं।

37. एन. रामकृष्णैया बनाम में "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति के पहले भाग का उल्लेख करते हुए। ए. पी. राज्य, 2009 Crl.L.J. 1767, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 15. धारा 13 (1) (ई) (पुरानी धारा 5 (1) (ई)) में "आय के ज्ञात स्रोत" वाक्यांश का जोर स्पष्ट रूप से "आय" शब्द पर है। यह देखना प्राथमिक होगा कि जनता

नौकर, आय वही होगी जो उसके कार्यालय से जुड़ी होगी या

पद, जिसे आमतौर पर पारिश्रमिक या वेतन के रूप में जाना जाता है। यह शब्द

“ आय अपने आप में उत्कृष्ट है और इसका व्यापक अर्थ है।

जो कुछ भी आता है या प्राप्त होता है वह आय है। लेकिन फिर भी,

"आय" शब्द का व्यापक महत्व और अर्थ यह है कि

अर्थ रसीद के रूप में समझने में असमर्थ

नियमित आय। इन आवश्यक विशेषताओं में महत्वपूर्ण हैं "आय" शब्द को समझना। इसलिए यह कहा जा सकता है कि

कि, यद्यपि उसके प्राप्तकर्ता के हाथ में रसीद में "आय",

प्रत्येक रसीद आय के स्वरूप में शामिल नहीं होगी।

लोक सेवक के लिए, उसे अपनी सेवा से जो भी प्रतिफल मिलता है,

यह उसकी आय की प्राथमिक वस्तु होगी। अन्य आय जो क्या यह अनुमानित रूप से ऐसी आय हो सकती है जिसमें लोक सेवक होगा

(क) उसकी संपत्ति, या (ख) उसके निवेश से नियमित रसीद।

अप्रत्याशित लाभ, या भ्रष्टाचार अपराध या अनैतिक लाभ की रसीद

व्यक्तियों द्वारा स्राव प्रथम दृष्टया रसीद नहीं होगी एक लोक सेवक का "आय का ज्ञात स्रोत"।

38. उपरोक्त हमें स्पष्टीकरण के दूसरे भाग में लाता है, इस अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हुए कि "ऐसी रसीद लोक सेवक द्वारा सूचित की जानी चाहिए थी" यानी लोक सेवक द्वारा कानून, नियमों या आदेशों के किसी भी प्रावधान के अनुसार सूचना।

39. अधिनियम 1947 की धारा 5 (3) के संशोधन से पहले, अधिनियम 1947 की धारा 5 (1) (ई) और अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई) के मूल प्रावधानों की भाषा वही बनी हुई है, हालांकि इसके संशोधन से पहले धारा 5 (3) को [2022] 7 एस. सी. आर. में एक प्रक्रियात्मक धारा माना गया था।

सज्जन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर 1964 एस. सी. 464। अनुभाग

18 दिसंबर से संशोधित होने से पहले अधिनियम 1947 की व्याख्या सी. डी. एस. स्वामी बनाम के मामले में की गई थी। राज्य, ए. आई. आर 1960

, और यह देखा गयाः

" 5. उन मामलों का भी उल्लेख किया गया था जिनमें अदालतों ने

अभिनिर्धारित किया कि यदि एक द्वारा प्रशंसनीय स्पष्टीकरण दिया गया था

अभियुक्त व्यक्ति संपत्ति के कब्जे में होने के लिए जो

आरोप का विषय था, अदालत कर सकती थी

अभियुक्त को आपराधिक जिम्मेदारी से दोषमुक्त करें

अपराध करने वाली संपत्ति रखना। हमारी राय में, उन मामलों में

अपीलार्थी के खिलाफ आरोप का कोई संबंध नहीं है यह मामला, क्योंकि धारा अभियुक्त व्यक्ति से अपेक्षा करती है कि

" धनकोष के कब्जे के लिए संतोषजनक लेखा

उसके ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संसाधन या संपत्ति

आय से। आम तौर पर, एक अभियुक्त व्यक्ति का अधिकार है - बरी किया जा सकता है यदि वह संपत्ति के ईमानदार कब्जे के लिए जिम्मेदार हो सकता है जो हाल ही में चोरी की गई साबित हुई है (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का चित्रण (ए) देखें,

1872) . कानून का नियम यह है कि यदि प्रथम दृष्टया ऐसा होता है

अभियुक्त का स्पष्टीकरण कि वह चोरी के सामान के साथ आया था

ईमानदारी से, दोषी ज्ञान का अनुमान है

विस्थापित हुए। यह इस सुस्थापित सिद्धांत पर आधारित है कि यदि न्यायालय के मन में कोई संदेह है कि एक अपराध के घटक, उस संदेह का लाभ जाना चाहिए

अभियुक्त। लेकिन विधायिका ने सलाह दी है कि

अभिव्यक्ति "संतोषजनक लेखा"। "संतोषजनक" शब्द पर जोर दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार, विधायिका ने जानबूझकर अभियुक्त पर बोझ डाला है, न केवल एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के लिए कि वह

अपनी बड़ी संपत्ति से कैसे आया, बल्कि अदालत को यह भी संतुष्ट करने के लिए कि उसका स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य था।

6. मामले के इसी पहलू पर एक अन्य तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए सबूत नहीं दिया है कि अपीलार्थी की आय के ज्ञात स्रोत क्या हैं। इस संबंध में, हमारा ध्यान जांच अधिकारियों के साक्ष्य की ओर आकर्षित किया गया था, और उस साक्ष्य के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया था कि उन अधिकारियों ने अभियुक्त की आय के ज्ञात स्रोतों के बारे में नहीं कहा है, या टी. ई. थ्रू डेप्युटी सुपरिनटेंट ऑफ पुलिस v.

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कि वेतन ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत था। अब, "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति में अभियोजन पक्ष को पूरी तरह से ज्ञात स्रोतों का संदर्भ होना चाहिए।

मामले की जांच। यह न तो था और न ही यह तर्क दिया जा सकता था कि "आय के ज्ञात स्रोतों" का अर्थ अभियुक्त को ज्ञात स्रोतों से है। अभियोजन पक्ष, बहुत में नहीं कर सकता है

अभियुक्त व्यक्ति। वे मामले साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अर्थ के भीतर अभियुक्त की "विशेष रूप से जानकारी के भीतर" होंगे। अभियोजन पक्ष केवल सबूत पेश कर सकता है, जैसा कि उसने तत्काल मामले में किया है, यह दिखाने के लिए कि आरोपी को भौतिक अवधि के दौरान सरकार के तहत सेवा द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए जाना जाता था। अभियोजन पक्ष का यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि यात्रा भत्ता भी आय का एक स्रोत था जब ऐसा भत्ता दिया जाता है। आम तौर पर इसका उद्देश्य किसी संबंधित अधिकारी को उसके आधिकारिक दौरों के लिए की गई यात्राओं के आकस्मिक खर्चों की भरपाई करना होता है। संभवतः इसे आय का एक बहुत बड़ा स्रोत नहीं कहा जा सकता है। किसी विशेष व्यक्ति की आय का स्रोत उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा।

जीवन में अपने व्यवसाय या व्यवसाय के विशेष संदर्भ के साथ। एक सरकारी कर्मचारी के मामले में, अभियोजन पक्ष स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाएगा कि उसकी आय का ज्ञात स्रोत उसकी सक्रिय सेवा के दौरान अर्जित वेतन होगा। उसकी पेंशन या उसका भविष्य निधि गणना में आएगा।

केवल अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, जब तक कि उनके पास अपने भविष्य निधि से उधार लेने का कोई औचित्य न हो। इसलिए हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की आय के ज्ञात स्रोतों के बारे में उचित सबूत देने में विफल रहा है। यह हो सकता है कि अभियुक्त ने अपने कथित स्रोतों के बारे में जाँच अधिकारियों को बयान दिए हों।

आय, लेकिन वही, सख्ती से, मामले में सबूत नहीं होगा, और यदि अभियोजन पक्ष सभी का खुलासा करने में विफल रहा है

अभियुक्त व्यक्ति की आय के स्रोत, आय के उन अन्य स्रोतों को साबित करने के लिए उसके लिए हमेशा खुला रहता है जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है या साक्ष्य में नहीं लाया गया है। "

(जोर दिया गया)

22] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. धारा 5 (3) के हटाए जाने और धारा 5 (1) (ई) के अधिनियमित होने के बाद भी, यह न्यायालय वासुदेव रामचंद्र कैदलवार के मामले में

(सुप्रा) ने पाया है कि अभिव्यक्ति "आय के ज्ञात स्रोत" धारा 5 (1) (ई) में घटित होने का एक निश्चित कानूनी अर्थ है जिसका अर्थ संदर्भ में अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों से होना चाहिए न कि स्रोतों से।

अभियुक्त पर भरोसा किया और उसे पता था। इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि धारा 5 (1) (ई) अभियुक्त पर बोझ डालती है क्योंकि यह उन शब्दों का उपयोग करती है जिनके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है। अभियुक्त की जिम्मेदारी है कि वह परिसंपत्तियों का हिसाब रखे और उन्हें संतोषजनक तरीके से बताए।

तदनुसार, वासुदेव रामचंद्र कैदलवार (ऊपर) में यह देखा गया थाः

" 11. धारा 5 (3) के प्रावधानों का विषय रहा है -

न्यायिक व्याख्या। सबसे पहले अभिव्यक्ति "ज्ञात स्रोत"

धारा 5 (3) के संदर्भ में आय का अर्थ "अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोत" है। दूसरा सिद्धांत भी उतना ही अच्छा है।

तय हो गया। धारा के तहत अभियुक्त पर लगाया गया दायित्व

5 (3) हालाँकि, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं था उचित संदेह, लेकिन केवल एक प्रमुखता स्थापित करने के लिए

संभावना। ये सुव्यवस्थित सिद्धांत हैंः सीएसडी देखें।

स्वामी वी. राज्य; सज्जन सिंह बनाम। पंजाब राज्य और वी. डी.

झिंगन वी. यू. पी. राज्य विधायिका ने इसे उपयुक्त माना

धारा 5 (3) के तहत साक्ष्य के नियम को समाप्त करना और

जनता द्वारा आय से अधिक संपत्ति का कब्जा करना

अपराधी के अपराध की एक प्रजाति के रूप में नौकर

सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण धारा 5 (1) (ई) को सम्मिलित करके कदाचार। 12. अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) में दिखाई देने वाले शब्द और अभिव्यक्तियाँ वही हैं जो पुरानी धारा 5 (3) में उपयोग की गई हैं।

हालाँकि दोनों प्रावधान दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं,

उन्हें दिया जाने वाला अर्थ एक ही होना चाहिए। "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति का अर्थ है "स्रोत"।

अभियोजन पक्ष को पता है "। तो भी, वही अर्थ होना चाहिए

उन शब्दों को दिया जाए जिनके लिए लोक सेवक नहीं कर सकता है।

धारा 5 (1) (ई) में होने वाला संतोषजनक लेखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 4 (1) धारा 5 (1) (ए) और (बी) के तहत आने वाले मामलों में अपराध के अनुमान का प्रावधान करती है, लेकिन हमारी राय में, इसमें धारा 5 (1) (ई) का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए,

कारण स्पष्ट है।

पुलिस विभाग पर्यवेक्षण के माध्यम से धारा टी. ई. में निहित प्रावधान v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

5 (1) (ई) अधिनियम का एक स्व-निहित प्रावधान है। पहला भाग

धारा का भार अभियोजन पक्ष पर और दूसरा अभियुक्त पर पड़ता है। जब धारा 5 (1) (ई) उन शब्दों का उपयोग करती है जिनके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है।

13. यह हमें अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) के तहत सबूत के बोझ की प्रकृति और सीमा के रूप में कठिन प्रश्न पर ले जाता है। "सबूत का बोझ" अभिव्यक्ति के दो अलग-अलग अर्थ हैं। (1) कानूनी बोझ अर्थात अपराध को स्थापित करने का बोझ, और (2) साक्ष्य का बोझ अर्थात प्रमुख साक्ष्य का बोझ। आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक सब कुछ साबित करने का बोझ होता है।

अभियोजन, और वह बोझ कभी नहीं बदलता है। इस सामान्य नियम के बावजूद कि सबूत का भार विशेष रूप से अभियोजन पक्ष पर है, कुछ अपराधों के मामले में, किसी विशेष तथ्य को साबित करने का भार कानून द्वारा अभियुक्त पर डाला जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में अभियुक्त पर बोझ उतना भारी नहीं है जितना कि अभियुक्त पर है।

अभियोजन चलाया जाता है और संभावनाओं के संतुलन के प्रमाण द्वारा आरोपमुक्त किया जाता है। धारा 5 (1) (ई) के साथ पठित धारा 5 (2) के तहत आपराधिक दुराचार के अपराध के तत्व आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का कब्जा हैं।

आय के ज्ञात स्रोतों से असमान जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है। को।

आरोप की पुष्टि करते हुए, अभियोजन पक्ष को धारा 5 (1) (ई) के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा, अर्थात्, (1) यह स्थापित करना होगा कि आरोपी एक लोक सेवक है, (2) धन की प्रकृति और विस्तार

संसाधन या संपत्ति जो उसके कब्जे में पाई गई थी, (3) यह साबित किया जाना चाहिए कि उसकी आय के ज्ञात स्रोत क्या थे, यानी अभियोजन पक्ष को पता था, और (4) यह काफी निष्पक्ष रूप से साबित करना चाहिए कि ऐसे संसाधन या संपत्ति [2022] 7 एस. सी. आर. में पाई गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त का कब्जा उसके ज्ञात के अनुपात से अधिक था

आय के स्रोत। एक बार जब ये चार तत्व स्थापित हो जाते हैं, तो धारा 5 (1) (ई) के तहत आपराधिक कदाचार का अपराध है -

संसाधन या संपत्ति। फिर बोझ अभियुक्त पर चला जाता है। असंगत के अपने कब्जे के लिए संतोषजनक रूप से लेखा देने के लिए

संपत्ति। सबूत के बोझ की सीमा और प्रकृति

धारा 5 (1) (ई) के तहत आय से अधिक संपत्ति नहीं हो सकती है। झिंगन मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण से अधिक अर्थात

उसके मामले को प्रायिकता की प्रधानता से स्थापित करें। कि

वूलमिंगटन बनाम में विस्काउंट सेंकी, एल. सी. के कथन के बाद अदालत द्वारा परीक्षण निर्धारित किया गया था। लोक अभियोजन निदेशक।

उच्च न्यायालय ने एक असंभव बोझ रखा है

आय के सभी संभावित स्रोतों को गलत साबित करने के लिए अभियोजन

वे अभियुक्त की विशेष जानकारी में थे। जैसा कि रखा गया है।

स्वामी मामले में, अभियोजन पक्ष प्रकृति में नहीं कर सकता है

चीज़ों के बारे में, जनता के मामलों को जानने की अपेक्षा की जाए

आय के ज्ञात स्रोतों से असमान, अर्थात उसकी वेतन मिलता है। वे मामले विशेष रूप से ज्ञान के भीतर होंगे।

धारा 106 के अर्थ के भीतर लोक सेवक का

साक्ष्य अधिनियम, 1872। धारा 106 में कहा गया हैः

“ जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी के ज्ञान में हो

व्यक्ति, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

इस संबंध में, वाक्यांश सबूत का बोझ स्पष्ट रूप से है

निर्दोषता सभी उचित संदेह से परे है। उसे सब कुछ चाहिए। ऐसा करना संभावना की प्रधानता को सामने लाना है।

41. जबकि "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों को संदर्भित करती है, "जिसके लिए सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है" अभिव्यक्ति लोक सेवक द्वारा पाई गई संपत्ति के लिए संतोषजनक रूप से व्याख्या करने और लेखा देने के लिए अभियुक्त की जिम्मेदारी या बोझ को संदर्भित करती है। यह बोझ अभियुक्त पर पड़ता है क्योंकि सहायता के तथ्य उसके विशेष ज्ञान में होते हैं। की धारा 106 एन्से अधिनियम लागू होता है। धारा 13 (1) (ई) का स्पष्टीकरण पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से एक प्रक्रियात्मक राज्य है।

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

धारा जो "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति को अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करती है न कि अभियुक्त को। द.

स्पष्टीकरण लागू होता है और अभियोजन पक्ष द्वारा की जाने वाली जाँच के तरीके और तरीके से संबंधित है, यह अभियोजन पक्ष की एक खुली, व्यापक और व्यापक जाँच करने और आय के कथित स्रोतों की जाँच करने की आवश्यकता और आवश्यकता को दूर करता है जो अभियुक्त के पास हो सकता है। यह अभियोजन पक्ष की आय के कथित स्रोतों में जाने की आवश्यकता और आवश्यकता को कम करता है जो एक लोक सेवक के पास हो सकता है या संभवतः कानूनी नहीं हैं या घोषित नहीं किए गए हैं। अघोषित कथित स्रोत अपने स्वभाव से केवल अभियुक्त को ही ज्ञात होने की उम्मीद की जाती है और वे उसके विशेष ज्ञान में होते हैं। स्पष्टीकरण का प्रभाव "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति की मौजूदा स्थिति और समझ को स्पष्ट और सुदृढ़ करना है अर्थात यह अभिव्यक्ति अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों को संदर्भित करती है न कि अभियुक्त को ज्ञात स्रोतों को। स्पष्टीकरण का दूसरा भाग पी. सी. अधिनियम, 1988 के तहत जांच किए जाने वाले अभियुक्त की आय के सभी कथित/दावा किए गए ज्ञात स्रोतों का पता लगाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा एक खुली या रोइंग जांच या जांच करने की आवश्यकता और आवश्यकता को दूर करता है। अभियोजन पक्ष किसी लोक सेवक पर लागू होने वाले कानून, नियमों और आदेशों के तहत अभियुक्त द्वारा अधिकारियों को दी गई जानकारी पर भरोसा कर सकता है। अभियुक्त लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों का पता लगाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्पष्टीकरण का पहला भाग कानूनी/वैध स्रोतों से प्राप्त आय को संदर्भित करता है। अभिव्यक्ति का यह पहला भाग स्पष्ट रूप से बताता है जो एन. रामकृष्णैया (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है। (जोर दिया गया)

42. इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि "आय का ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति उन शब्दों का पर्याय नहीं है जिनके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है। दोनों अभिव्यक्तियाँ अलग-अलग अर्थ, दायरा और आवश्यकताओं को दर्शाती हैं।

43. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) और ए. एन. आर. के मामले में। वी. थोमंद्रू हन्ना विजयलक्ष्मी @टी. एच. विजयलक्ष्मी

और एन. आर. , इस न्यायालय ने अपने विभिन्न अन्य निर्णयों की विस्तृत समीक्षा के बाद, विशेष रूप से 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 923 में रिपोर्ट की

के. वीरास्वामी बनाम के मामले में निर्णय। भारत संघ, (1991) 3 एस. सी. सी. 655 ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अभियुक्त लोक सेवक को आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले जांच अधिकारी को कथित आय से अधिक संपत्ति के बारे में समझाने का मौका देने का अधिकार नहीं है, इसलिए एक समान अधिकार [2022] 7 एस. सी. आर.

ओ. टी. को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले अभियुक्त को दिया जाए

आकस्मिक जाँच अनिवार्य है।

44. थोमंद्रु नाह विजयलक्ष्मी @टी. एच. विजयलक्ष्मी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय एक प्रत्यक्ष निर्णय है।अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभिनिर्धारित करने वाले अधिकारी ने आरोपों के संबंध में लोक सेवक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर गलत तरीके से विचार करने से इनकार कर दिया और अपनी पत्नी द्वारा कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति पर विचार करने में भी विफल रहे।

45. के. वीरास्वामी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 75 ..... चूंकि आरोप-पत्र की वैधता पर महाभियोग चलाया गया है, इसलिए हम उस विवाद पर भी विचार करेंगे। वकील

उस अभिव्यक्ति पर बहुत जोर दिया जिसके लिए वह अधिनियम की धारा 5 (1) के खंड (ई) में संतोषजनक रूप से उपयोग नहीं कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि उस शब्द का अर्थ है कि लोक सेवक जांच अधिकारी के समक्ष एक अवसर का हकदार है।

परिसंपत्तियों और आय के ज्ञात स्रोतों के बीच कथित अनुपातहीनता की व्याख्या करना। जाँच अधिकारी से अपने स्पष्टीकरण पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है और उसके द्वारा दायर आरोप पत्र में ऐसा अभिकथन होना चाहिए। उस आवश्यकता का उल्लेख करने में विफलता आरोप पत्र को दूषित कर देगी और इसे अमान्य कर देगी। यह प्रस्तुति, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो पूरी तरह से

जाँच अधिकारी की शक्तियों की अनदेखी करता है। द.

जाँच अधिकारी को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता होती है कि क्या कथित अपराध किया गया प्रतीत होता है। जाँच के दौरान, वह अभियुक्त से पूछताछ कर सकता है। वह अपना स्पष्टीकरण मांग सकता है और यदि आवश्यक हो,

वह अपनी आय के ज्ञात स्रोतों और अपने पास मौजूद परिसंपत्तियों के बारे में उससे पूछताछ कर सकता है। वास्तव में, निष्पक्ष जाँच की आवश्यकता है जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री ए. डी. गिरि ने सही कहा है कि अभियुक्त को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वह सहयोग करने को तैयार है तो उसे विश्वास में लिया जाना चाहिए।

लेकिन यह कहना कि सभी सामग्रियों के संग्रह के बाद जांच अधिकारी को आरोपी को एक अवसर देना चाहिए और उसे आय के ज्ञात स्रोतों पर संपत्ति की अधिकता का लेखा देने के लिए कहना चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि लेखा संतोषजनक है या नहीं, जांच अधिकारी को जांच अधिकारी या न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करना होगा। जाँच अधिकारी स्टेट थ्रू डिपार्टमेंट सुपरिनटेंट ऑफ पुलिस V के खिलाफ जाँच नहीं कर रहा है।

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों के बीच अनुपातहीनता से संबंधित मुद्दे अभियुक्त की आय। वह सिर्फ सभी से सामग्री एकत्र करता है।

पक्ष लेता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे वह अदालत में दाखिल करता है

चार्ज-शीट "।

(जोर दिया गया)

46. दूसरा तर्क अभियुक्त की ओर से प्रचार किया गया

व्यक्ति जो परिसंपत्तियों के संबंध में जानकारी का हर बिट था आयकर अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और इसके संबंध में दस्तावेज अभियुक्त व्यक्तियों को बिना किसी योग्यता के आरोपों से दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह तर्क कि उच्च न्यायालय ने इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त पर उचित रूप से विचार किया

अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष से आरोपमुक्त करना किसी भी योग्यता के बिना है और विशेष रूप से थोमंद्रू हन्ना विजयलक्ष्मी @टी. एच. के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए अधिक त्रुटिपूर्ण है।

विजयलक्ष्मी (ऊपर)। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 58,60 और 61 के जवाब में कहा हैः

" 58. दूसरी ओर, इसकी ओर से तर्क दिया गया है

अपीलार्थी कि उत्तरदाताओं द्वारा दस्तावेजों पर भरोसा किया गया

निर्दोष नहीं हैं और के स्तर पर साबित किया जाना है

मुकदमा। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि इस पर दिए गए तर्क

इन दस्तावेजों के आधार को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी ने दो न्यायाधीशों के फैसले पर भरोसा किया है

जे. जयललीता (ऊपर) में इस न्यायालय की पीठ, जहाँ उसने

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आयकर विवरणी जैसे दस्तावेज ऐसा नहीं कर सकते हैं

यह दिखाने के लिए निर्णायक प्रमाण के रूप में भरोसा किया जाना चाहिए कि आय है

पीसी अधिनियम के तहत एक वैध स्रोत से। न्यायमूर्ति पी. सी. घोष

इस प्रकार आयोजित किया गयाः

" 191. यद्यपि काफी आदान-प्रदान किए गए थे

धारा 43 के आसपास केंद्रित तर्कों का क्रम

साक्ष्य अधिनियम, 1872, हम इस बात को समझते हैं कि विवरण में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि

यह मानते हुए कि आयकर विवरणी, में कार्यवाही

इसके साथ संबंध और उसमें दिए गए निर्णय हैं -

साक्ष्य में भी प्रासंगिक और स्वीकार्य, ऐसा कुछ नहीं, उन पर निश्चित रूप से मुड़ता है क्योंकि वे कोई प्रस्तुत नहीं करते हैं

स्रोत (ओं) की वैधता की गारंटी या प्रमाणीकरण

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आय का, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप का शीर्ष उत्तरदाताओं। बचाव पक्ष की यह दलील है कि आयकर विवरणी और आदेश, जबकि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा साबित किए गए थे, पर अभियोजन पक्ष द्वारा आपत्ति नहीं की गई थी और इसे आगे बढ़ाया गया था

(अभियोजन पक्ष) ने भी साक्ष्य के रूप में आयकर विवरणी/आदेश मांगे थे और इस प्रकार, वह बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की स्वीकार्यता पर आपत्ति नहीं कर सकता है। दोहराने के लिए, भले ही इस तरह के रिटर्न और आदेश स्वीकार्य हों, संभावित मूल्य प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति, आदेशों में दर्ज निष्कर्षों और लगाए गए शुल्क पर निर्भर करेगा। हालाँकि, मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, इस तरह के विवरणी और आदेश निर्णायक रूप से वास्तविक नहीं होंगे।

आरोप को साबित या गलत साबित करें और सबसे अच्छा सबूत के टुकड़े हो सकते हैं जिनका मूल्यांकन दूसरे के साथ किया जाना चाहिए।

अभिलेख पर सामग्री। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी उत्तरदाता के पास नहीं है

हाथ में मामले में शपथ पर जांच की गई। इसके अलावा, बचाव पक्ष द्वारा भरोसा किए गए आयकर रिटर्न के साथ-साथ उससे संबंधित कार्यवाही में पारित आदेशों को आरोप पत्र जमा करने के बाद दाखिल/पारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ साजिश और उकसाने का आरोप है। समग्र परिप्रेक्ष्य में इसलिए न तो आयकर विवरणी और न ही उससे संबंधित कार्यवाहियों में पारित आदेश, या तो अभियुक्त व्यक्तियों की आय के स्रोतों की वैधता को निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं या संतोषजनक रूप से लेखा देने के लिए उनके लिए कोई लाभप्रद नहीं हैं।

अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) द्वारा अनिवार्य रूप से उनके आर्थिक संसाधनों और संपत्तियों की विषमता। विश्वनाथ चतुर्वेदी (3) v. भारत संघ [विश्वनाथ चतुर्वेदी (3) v. भारत संघ, (2007) 4 एस. सी. सी. 380: (2007) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 302], अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी।

भारत के संविधान के लिए एक उपयुक्त रिट की मांग

आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए भारत संघ को 1988 के अधिनियम के तहत आर-2 से आर-5 पर मुकदमा चलाने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश देना।

अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करना। उत्तरदाता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार थे। यह ध्यान में रखते हुए कि मूल मुद्दा कथित के संबंध में था निवेश और ऐसे निवेशों के स्रोत, 2 से 5 उत्तरदाताओं को इस न्यायालय द्वारा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से आयकर की प्रतियां दाखिल करने का आदेश दिया गया था।

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

और संबंधित निर्धारण वर्षों के धन कर विवरणी जो

किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह बताया गया था कि आधिकारिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई गणना के अनुसार, परिवार की शुद्ध संपत्ति हालांकि 1,000 रुपये थी, लेकिन तब शुद्ध संपत्ति का मूल्य 24 करोड़ रुपये था। प्रत्यर्थियों की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं और मामले संबंधित अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं और सभी भुगतान चेक द्वारा किए गए थे, और इस प्रकार उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे। यह देखा गया कि द्वारा प्रस्तुत विवरण की सूक्ष्मता

पक्षकारों और आयकर विवरणी और निर्धारण आदेशों, बिक्री विलेखों आदि को केवल एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य मान्यता प्राप्त लोगों की सहायता से सावधानीपूर्वक देखा और विश्लेषण किया जाना आवश्यक था।

संपत्ति के इंजीनियर और मूल्यांकनकर्ता। यह देखा गया कि आयकर विभाग का सरोकार केवल आय का स्रोत और कर का भुगतान किया गया था या नहीं और इसलिए, केवल एक स्वतंत्र एजेंसी या सी. बी. आई., अदालत के निर्देश पर, आय से अधिक संपत्ति के सवाल का निर्धारण कर सकती है। इस प्रकार सी. बी. आई. को प्रारंभिक जाँच करने का निर्देश दिया गया।

सभी प्रत्यर्थियों की संपत्ति और इस मामले की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करना कि मामला बनाया गया था या नहीं। यह निर्णय इस बात पर जोर देने के लिए है कि आयकर विवरणी और उस पर पारित मूल्यांकन आदेशों को प्रस्तुत करना, किसी आरोप के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिरक्षा का गठन नहीं करेगा।

पी. सी. अधिनियम के तहत आय के ज्ञात वैध स्रोतों के अनुपात से अधिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और

इसकी आगे की जांच/विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है कि क्या पी. सी. अधिनियम द्वारा अनुध्यात अपराध है

बनाया या नहीं।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

60. शुरुआत में, हमें स्पष्ट रूप से यह मानना चाहिए कि

जिन दस्तावेजों पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है, वे प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं बन सकते हैं। मूल्य और

दस्तावेजों पर भार डालना परीक्षण का विषय है। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए इस न्यायालय की दो न्यायाधीश पीठों के पिछले फैसलों का हवाला दिया है। केदारी लाल (ऊपर) में निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है।

और जे. जयललीता (ऊपर) दो कारणों सेः ((i) निर्णय

जे. जयललीता (ऊपर) में कहा गया है कि आय जैसे दस्तावेज़ कर विवरणी, अपने आप में, निश्चित प्रमाण नहीं होगा

बशर्ते कि किसी की आय का स्रोत वैध था क्योंकि

आयकर विभाग जाँच के लिए जिम्मेदार नहीं है

कि, जबकि केदारी लाल (ऊपर) में निर्णय के तथ्य

ऐसा था कि आय का स्रोत प्रश्न में नहीं था

बिल्कुल और इसलिए, आयकर रिटर्न पर भरोसा किया गया था

निर्णायक रूप से; और (ii) किसी भी मामले में, केदारी लाल में निर्णय

(ऊपर) एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए दिया गया था

पी. सी. अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए, जबकि वर्तमान मामला एक एफ. आई. आर. को रद्द करने के चरण में है।

61. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी बहुत चुनौती दे रहा है

-उत्तरदाताओं की आय का स्रोत और पूछताछ

ऐसी आय के आधार पर उनके द्वारा अर्जित परिसंपत्तियाँ। अतः इस पर

एफ. आई. आर. को रद्द करने का चरण जहां केवल न्यायालय को करना होता है

पता लगाएँ कि क्या प्रथम दृष्टया एफ़. आई. आर. संज्ञेय अपराध करना, दस्तावेजों पर निर्भरता

एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा

वस्तुतः अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से बहुत आगे निकल गया है उत्तरदाताओं को दोषमुक्त करने के प्रयास में मुकदमा चलाना।

(जोर दिया गया)

47. अब हम यही कारण कहते हैं कि विवादित आदेश पारित हो गए

उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से समझ से बाहर हैं क्योंकि उच्च न्यायालय के वास्तविक दायरे और दायरे को समझने में सक्षम नहीं है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239। उच्च न्यायालय यह भी नहीं समझ पाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाना है।

48. हम एक धारणा एकत्र की है कि उच्च न्यायालय लगता है

कानून की गंभीर गलत अवधारणा के तहत काम करना, जैसा कि दो विवादित आदेशों से स्पष्ट है और ऐसी गलत अवधारणाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है।

49. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने सही प्रस्तुत किया

कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत आरोपमुक्त करने के विचार के स्तर पर केवल एक प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए और विशेष न्यायालय ने प्रथम दृष्टया राज्य के पुलिस विभाग के अधीक्षक के अस्तित्व के संबंध में संतुष्टि दर्ज की है।

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए आदेशों में कोई भौतिक त्रुटि या अवैधता नहीं कही जा सकती है।

अभिलेख पर सामग्री का मूल्य दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। 52. वे प्रावधान जो प्रभार या निर्वहन के निर्धारण के प्रश्न से संबंधित हैं, जिनसे संबंधित हैंः (i) एक सत्र परीक्षण या, (ii) वारंट मामले का परीक्षण, या (iii) एक समन मामला, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धाराओं के तीन जोड़े में निहित हैं। जहाँ तक सत्र विचारण का संबंध है, ये धाराएँ धारा 227 और 228 हैं; धारा 239 और 240 वारंट मामलों के विचारण से संबंधित हैं; और धारा 245 (1) और 245 (2) समन मामले के संबंध में हैं। संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैंः

" धारा 227। आरोपमुक्त करना-यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह आरोपमुक्त करेगा।

अभियुक्त और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करें।

धारा 228। प्रभार की संरचना। - (1) अगर इसके बाद

न्यायाधीश, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विचार और सुनवाई करता है

राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त

एक अपराध किया है जो

(क) सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारण योग्य नहीं है, वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय कर सकता है और आदेश द्वारा,

मुकदमे के लिए मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी के किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित करें और आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या, जैसा भी मामला हो, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी तारीख को उपस्थित होने का निर्देश दें, जो वह उचित समझे, और उसके बाद ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट के मुकदमे की प्रक्रिया के अनुसार अपराध की सुनवाई करेगा -

(ख) न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारण योग्य है, वह इसमें शामिल होगा

अभियुक्त के खिलाफ आरोप लिखना। (2) जहां न्यायाधीश उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत कोई आरोप तय करता है, वहां आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी को समझाया जाएगा, और आरोपी से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी है या मुकदमा चलाने का दावा करता है।

धारा 239। जब अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जाएगा। यदि पुलिस रिपोर्ट और धारा 173 के तहत उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त की ऐसी जांच करने पर, यदि कोई हो, जिसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझता है और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ आरोप को निराधार समझता है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।

धारा 240। प्रभार की संरचना। - (1) यदि, ऐसे विचार, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई पर, मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत एक अपराध किया है, जिसका परीक्षण करने के लिए ऐसा मजिस्ट्रेट सक्षम है और जिसे, उसकी राय में, उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के खिलाफ लिखित रूप में आरोप बनाएगा।

(2) फिर आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी को समझाया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी है या मुकदमा चलाने का दावा करता है।

धारा 245। जब अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जाएगा। - (1) अगर,

धारा 244 में निर्दिष्ट सभी साक्ष्यों को लेते हुए, मजिस्ट्रेट का मानना है कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, कि अभियुक्त के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है जो, यदि बिना किसी संदेह के, उसकी दोषसिद्धि की गारंटी देता है, तो मजिस्ट्रेट उसे आरोपमुक्त कर देगा। (2) इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी भी पिछले चरण में आरोपी को आरोपमुक्त करने से रोकने के लिए नहीं मानी जाएगी, यदि ऐसे न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से

मजिस्ट्रेट, वह आरोप को निराधार मानते हैं। ' स्टेट थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v.

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

53. वनाच्छादित धाराएँ इंगित करती हैं कि सी. आर. पी. सी. में धारा 227 के तहत सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोपमुक्त करने पर विचार किया गया है। उसके द्वारा विचारण योग्य मामला, पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले धारा 239 द्वारा कवर किए जाते हैं और पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा स्थापित मामले हैं -

साक्ष्य दर्ज करने से पहले किया जाता है और इस बात पर विचार किया जाता है कि आरोप तैयार किया जाना है या नहीं, मामले के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना आवश्यक है, जिसमें दस्तावेज और आरोपी की मौखिक सुनवाई और अभियोजन पक्ष या पुलिस रिपोर्ट, इसके साथ भेजे गए दस्तावेज और आरोपी की जांच और पक्षकारों को सुनने का अवसर देने के बाद। दूसरी ओर, धारा 245 के तहत आरोपमुक्त करने का चरण धारा 244 में निर्दिष्ट साक्ष्य लेने के बाद ही प्राप्त किया जाता है।

54. ऊपर निर्दिष्ट धाराओं के तीन जोड़े के तहत आरोपमुक्त करने के संबंध में प्रावधानों में मामूली भिन्नता के बावजूद, तय कानूनी स्थिति यह है कि इन तीन स्थितियों में से किसी एक के तहत आरोप तय करने का चरण प्रारंभिक है और "प्रथम दृष्टया" मामले का परीक्षण लागू करना होगा-यदि निचली अदालत संतुष्ट है कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, तो आरोप तैयार करना होगा।

महाराष्ट्र बनाम. सोमनाथ थापा, (1996) 4 एस. सी. सी. 659, और स्टेट ऑफ एम. पी. बनाम। मोहनलाल सोनी, (2000) 6 एस. सी. सी. 338, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस स्तर पर, न्यायालय को अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनानी होगी कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्व और यह रिकॉर्ड पर सामग्री के संभावित मूल्य में गहराई से जाने की उम्मीद नहीं है। प्रासंगिक

फैसले में की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

" 11. यह मामूली बात है कि आरोप तय करने के चरण में अदालत

अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके अंकित मूल्य पर लिया गया, सभी के अस्तित्व का खुलासा किया

कथित अपराध का गठन करने वाले तत्व। उस दौर में,

न्यायालय से संभावित मूल्य में गहराई से जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है अभिलेख पर सामग्री। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या

अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार नहीं है बनाया गया है। उस स्तर पर, मजबूत संदेह भी स्थापित हुआ

ऐसी सामग्री पर जो न्यायालय को एक अनुमान बनाने के लिए प्रेरित करती है तथ्यात्मक अवयवों के अस्तित्व के बारे में राय

कथित अपराध का गठन करने से यह तय करना उचित होगा कि

आयोग के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप वह अपराध। '

56. पुनः सोमनाथ थापा (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन पीठ ने जहां तक सत्र विचारण का संबंध है, धारा 227 और 228 की तीन जोड़ियों पर ध्यान देने के बाद उत्तर दिया। धारा 239 और 240 वारंट मामलों के मुकदमे से संबंधित जवाब;iii) धारा 245 (1) और (2) समन मामलों की सुनवाई, जिसमें आरोप तय करने या निर्वहन के प्रश्न के साथ इस प्रकार कहा गया हैः

पी। 671 , पैरा 32)।

" 32 ..... यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, एक अदालत कर सकती है

इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपराध करना एक है

संभावित परिणाम के रूप में, आवेश की रचना के लिए एक मामला मौजूद है।

इसे अलग तरह से रखने के लिए, यदि अदालत को लगता है कि आरोपी ने अपराध किया होगा तो वह आरोप तय कर सकती है,

यद्यपि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष यह होना आवश्यक है कि

अभियुक्त ने अपराध किया है। यह स्पष्ट है कि

एक आवेश के गठन का चरण, का संभाव्य मूल्य

अभिलेख पर सामग्री में नहीं जाया जा सकता है; सामग्री लाई गई है।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए

उस चरण में।

57. मोहनलाल सोनी (ऊपर) मामले में बाद के एक फैसले में, इस अदालत ने अपने पिछले फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा किः (एस. सी. सी पी. 342, पैरा 7)

" 7. स्पष्टीकृत न्यायिक दृष्टिकोण यह है कि तैयार करने के चरण में

आरोप, न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस बात पर विचार करना होगा कि क्या पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से राज्य है।

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। अदालत को निष्कर्ष निकालने के लिए सबूतों की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है

उत्पादित सामग्री पर्याप्त है या नहीं

अभियुक्त को दोषी ठहराना "।

58. श्योराज सिंह अहलावत और अन्य में इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराते हुए v. उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2013) 11 एस. सी. सी. 476, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि आरोप तैयार करते समय न्यायालय

यह तय करने के लिए कि क्या उनसे उनके अंकित मूल्य पर लिए गए तथ्य कथित अपराध का गठन करने वाले तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करेंगे, अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर, न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूतों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय इस स्तर पर आरोपों की सच्चाई या असत्यता के बारे में अटकलें नहीं लगा सकता है और गवाहों के बयान में विरोधाभासों और विसंगतियों को आरोपमुक्त करने के स्तर पर नहीं देखा जा सकता है।

59. पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट मामले के मुकदमे के संदर्भ में, आरोपमुक्त करने के प्रावधानों को शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जाना है।

धारा 239 में यह प्रावधान किया गया है कि आरोपमुक्त करने का निर्देश केवल अदालत द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए दिया जा सकता है जहां वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप को आधारहीन मानता है। अतः यह माना जाएगा कि धारा 239 के तहत प्रावधानों के अनुसार किन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है।

यह है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया है और यह नहीं कि अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है। उस स्तर पर, ऐसी सामग्री पर स्थापित मजबूत संदेह भी जो न्यायालय को कथित अपराधों का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित करता है, उस अपराध के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने को उचित ठहराएगा, और यह केवल उस मामले में है जहां मजिस्ट्रेट आरोप को ऐसा मानता है

बिना किसी आधार के, उसे ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करने के बाद आरोपी को आरोपमुक्त करना है।

60. धारा 239 में इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ विचार करने की परिकल्पना की गई है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ आरोप निराधार है या क्या यह मानने का आधार है कि उसने कोई अपराध किया है। इसलिए, धारा 239 जो निर्धारित करती है, वह एक खाली या नियमित औपचारिकता नहीं है। यह अभियुक्त के लाभ के लिए एक मूल्यवान प्रावधान है, और इसका उल्लंघन कानून के तहत अनुमत नहीं है। लेकिन अगर न्यायाधीश, [2022] 7 एस. सी. आर.

धारा 240 अभियुक्त के खिलाफ लिखित आरोप तय करने के लिए। शुल्क की संरचना के लिए आदेश भी एक खाली या नियमित औपचारिकता नहीं है। यह एक दूरगामी प्रकृति का है, और यह एक निर्णय के बराबर है कि अभियुक्त धारा 239 के तहत निर्वहन का हकदार नहीं है, कि दूसरी ओर, यह मानने के लिए आधार है कि उसने अध्याय XIX के तहत विचारण योग्य अपराध किया है और उसे इसके लिए दोषी ठहराने और उस याचिका पर दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के लिए बुलाया जाना चाहिए, या मुकदमे का सामना करना चाहिए। (देखिएः वी. सी. शुक्ला बनाम सी. बी. आई. के माध्यम से राज्य, ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 962)।

61. सी. आर. पी. सी. की धारा 239 में कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट

अभियुक्त के खिलाफ आरोप को निराधार समझते हुए, वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा। हमारी राय में 'आधारहीन' शब्द का अर्थ है कि यह मानने का कोई आधार नहीं होना चाहिए कि अभियुक्त ने

अपराध को अंजाम दिया। सी. आर. पी. सी. की धारा 239 में प्रयुक्त 'आधारहीन' शब्द का अर्थ है कि न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है या पर्याप्त नहीं है।

62. विद्वान लेखक श्री सरकार ने पृष्ठ 427 पर अपने आपराधिक पी. सी., 5 वें संस्करण में कहा हैः

" प्रावधान धारा 227 के समान है, केवल अंतर है

यह कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त की जाँच कर सकता है, यदि - एस. 245 की भी आवश्यकता है। मजिस्ट्रेट निर्वहन करेगा

यदि (i) धारा 173 में उल्लिखित पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अभियुक्त कारण दर्ज करता है; (ii) यदि आवश्यक हो तो अभियुक्त की जाँच करना और (iii) दोनों पक्षों की दलीलें सुनना वह अपने खिलाफ आरोप को निराधार समझता है, अर्थात या तो कोई कानूनी सबूत नहीं है या तथ्य किसी भी अपराध को बिल्कुल नहीं बताते हैं।

63. संक्षेप में, इसका मतलब है कि यदि किसी भी अपराध के संबंध में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो यह एक आरोप के बराबर होगा।

आधारहीन होना।

64. सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 545, इस न्यायालय ने सी. आर. पी. सी. 1898 की धारा 251 (ए) (2) के दायरे के बारे में कहा है, जो सी. आर. पी. सी. की धारा 239 में उपयोग किए गए शब्दों के साथ समान सामग्री में हैः

टी थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय तैयार करने के चरण में

क्योंकि अभियोजन अधिकारियों पर भरोसा करके धारा 173 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ इसे स्थापित करना उचित मानते हैं।

मामला। आरोप तय करने की जिम्मेदारी है -

न्यायालय और उसे न्यायिक रूप से इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि

ऐसा करना। अभिलेख पर सामग्री के लिए पूरी तरह से विज्ञापन किए बिना

उसे अभियोजन पक्ष के निर्णय को आंख मूंदकर नहीं अपनाना चाहिए। पैरा 15 में, इस न्यायालय ने कहा हैः

" उप-सेक के अंतर्गत। (2) , यदि सभी दस्तावेजों पर विचार करने पर

धारा 173, आपराधिक पी. सी. में निर्दिष्ट और अभियुक्त की जाँच करना, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक समझा जाता है और उसके बाद भी

दोनों पक्षों को सुनकर, मजिस्ट्रेट आरोप पर विचार करता है - आधारहीन होने के कारण, उसे अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देना चाहिए। यह उप

खंड को उप-खंड के साथ पढ़ा जाना चाहिए। (3) , के अनुसार

जो, यदि दलीलें सुनने और अभियुक्त को सुनने के बाद,

मजिस्ट्रेट सोचता है कि यह मानने का आधार है कि

अभियुक्त ने अध्याय के तहत विचारण योग्य अपराध किया है।

मजिस्ट्रेट की क्षमता के भीतर संहिता का XXI और

जिसे वह पर्याप्त रूप से दंडित कर सकता है, उसे लिखित रूप में एक

अभियुक्त के खिलाफ आरोप। दोनों उपखंडों को पढ़ना

एक साथ, इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि यदि कोई आधार नहीं है

यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपराध किया है,

आरोपों को आधारहीन माना जाना चाहिए, जो है

यह कहने के समान है कि तैयार करने के लिए कोई आधार नहीं है शुल्क लेते हैं।

(जोर दिया गया)

65. इस प्रकार 'आधारहीन' शब्द, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, का अर्थ है

यहाँ यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्त ने एक अपराध किया है

_सीई।

66. इस न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर फिर से विचार किया है

न्यायिक मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल

इल कुमार भुनजा, ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 52। इस न्यायालय ने कहा है कि मामला इस प्रकार हैः

" इस स्तर पर, एक बहुत मजबूत संदेह भी पाया गया

मजिस्ट्रेट के समक्ष सामग्री, जो उसे एक बनाने के लिए प्रेरित करती है

तथ्यात्मक के अस्तित्व के बारे में अनुमानित राय

कथित अपराध का गठन करने वाले तत्व, अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने को उचित ठहरा सकते हैं -

उस अपराध को करना "।

67. इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट संदेह मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी गई सामग्री पर आधारित होना चाहिए जो उसे एक तथ्यात्मक अवयवों के अस्तित्व के बारे में अनुमानित राय

आरोपित अपराध का गठन करना। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा उपयोग किए गए शब्द "एक बहुत मजबूत संदेह" एक न्यायाधीश के अस्थिर दिमाग का एक मजबूत संदेह नहीं होना चाहिए। यह संदेह सामग्री पर आधारित होना चाहिए

मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाता है जो उसे कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित करता है।

68. धारा 239 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 240 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप (आरोपों) के समर्थन में आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत या सामग्री है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 240 के अनुसार आरोप तय कर सकता है। लेकिन अगर वह पाता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप (आरोप या आरोप) प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं और आरोप तैयार करने के लिए आधार प्रदान नहीं करते हैं, तो यह आरोप निराधार होने का मामला होगा, इसलिए उसके पास अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जहां मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि अपराध का संज्ञान लेना ही कानून के किसी भी प्रावधान के विपरीत था, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468, शिकायत को सीमा द्वारा वर्जित किया जा रहा है, इसलिए वह आरोप नहीं लगा सकता है, उसे आरोपी को आरोपमुक्त करना होगा। वास्तव में, ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 पर ध्यान दिए बिना किसी अपराध का संज्ञान लेता है, सबसे अधिक

उचित चरण जिस पर अभियुक्त अपने आरोप से मुक्त होने का अनुरोध कर सकता है, आरोप तैयार करने का चरण है। उसे मुकदमा पूरा होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यदि तथ्य उचित हैं तो मजिस्ट्रेट उस प्रश्न पर विचार करने और आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त को आरोपमुक्त करने में कोई अवैधता नहीं करेगा।

69. सी. आर. पी. सी. की धारा 239 के तहत आरोप को आधारहीन माना जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या

सामग्री ऐसी है कि भले ही बिना किसी सबूत के कोई मामला न बने, लेकिन आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत आरोपमुक्त कर दिया जाना चाहिए। निचली अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या सामग्री पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से राज्य पर निर्भर थी।

आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अभियोग तैयार करने के उद्देश्य से यहाँ आवेदक के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा, यदि कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है, तो कोई भी मामला बनाएँ। 70. सी. आर. पी. सी. की धारा 239 के तहत निर्वहन के प्रावधान के. रामकृष्ण और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के विचार के लिए गिर गए।

बिहार राज्य और दूसरा, (2000) 8 एस. सी. सी. 547, और यह अभिनिर्धारित किया गया कि आगे बढ़ने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता के बारे में प्रश्नों पर निचली अदालत द्वारा धारा 239 के तहत और उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसे इस प्रकार देखा गयाः

" 4. धारा 239 के तहत निचली अदालत और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को इस बात की जांच शुरू करने के लिए नहीं कहा जाता है कि क्या विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है।

आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है या नहीं। लेकिन अगर

द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों और दस्तावेजों पर भरोसा किया गया

शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष और साक्ष्य का वजन या छान-बीन किए बिना, कोई मामला नहीं बनाया जाता है, अभियुक्त के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को हटाने या रद्द करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि इस न्यायालय ने राजेश बजाज बनाम में कहा था। दिल्ली राज्य एन. सी. टी., [1999 (3) एस. सी. सी. 259] उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रेट को भी एक

जिस अपराध के लिए अभियुक्त को आरोपित किया गया है, उसके अवयवों का परीक्षण करने के लिए बेहतरीन जालीदार डिब्बों के माध्यम से शिकायत को छानने के लिए सख्त अति-तकनीकी दृष्टिकोण। इस तरह का प्रयास मुकदमे के दौरान उचित हो सकता है लेकिन प्रारंभिक चरण के दौरान नहीं।

71. कर्नाटक लोकायुक्ता द्वारा राज्य के मामले में, पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु बनाम। एम. आर. हीरेमथ, (2019) 7 एस. सी. सी. 515, इस न्यायालय ने कहा

और अनुच्छेद 25 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 25. उच्च न्यायालय को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए था कि निचली अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के प्रावधानों के तहत आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार कर रही थी। इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मापदंडों की अभिव्यक्ति इस न्यायालय के कई निर्णयों में पाई गई है। यह एक

कानून का तय सिद्धांत कि आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में अदालत को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सही है और यह निर्धारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या [2022] 7 एस. सी. आर. से सामने आने वाले तथ्य हैं।

इसके अंकित मूल्य पर ली गई सामग्री, अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करती है। राज्य में टी. एन. वी. एन. सुरेश राजन [स्टेट ऑफ टी. एन. बनाम. एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एस. सी. सी. 709, ने इस विषय पर पहले के फैसलों का समर्थन करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एससीसी पीपी। 721-22 , पैरा 29)

" 29 ..... इस स्तर पर, सामग्री का संभावित मूल्य है

अदालत से मामले में गहराई से जाने और यह अभिनिर्धारित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देगी। हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और न कि क्या इसके लिए कोई आधार है। अभियुक्त को दोषी ठहराया जा चुका है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, अगर अदालत सोचती है कि आरोपी के पास हो सकता है

अपराध को उसके संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर किया जाता है, यह आरोप तैयार कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोपी ने कानून के अनुसार अपराध किया है।

इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति न दें।

72. इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 और 240 के तहत शक्ति के प्रयोग का दायरा और दायरा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है। के प्रति दायित्व

धारा 239 के तहत अभियुक्त को आरोपमुक्त करने की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मजिस्ट्रेट

अभियुक्त के खिलाफ आरोप को "निराधार" मानता है। इस धारा में आदेश दिया गया है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त रिकॉर्डिंग का निर्वहन करेगा

कारण, यदि (i) धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, (ii) यदि आवश्यक हो तो अभियुक्त की जांच करने और (iii) अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद, वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है, यानी या तो कोई कानूनी सबूत नहीं है या तथ्य ऐसे हैं कि कोई अपराध नहीं है। इस स्तर पर सामग्री का कोई विस्तृत मूल्यांकन या संभावित बचाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इस स्तर पर सुनहरे तराजू में सामग्री को तौलने का कोई अभ्यास किया जाना है-धारा 239/240 के चरण में केवल यह विचार किया जाता है कि क्या आरोप/आरोप निराधार है।

अभियोजन पक्ष द्वारा-इस स्तर पर अभ्यास पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने तक सीमित होना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि क्या अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को "निराधार" कहा जा सकता है।

स्टेट थ्रू डेप्युटी सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

74. ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार "ग्राउंड" शब्द नींव या आधार को दर्शाता है, और एक आपराधिक मामले में अभियोजन के संदर्भ में, इसका अर्थ अभियुक्त या अभियुक्त पर आरोप लगाने के लिए आधार माना जाएगा।

साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए आधार। संदर्भ में देखा जाए तो "आधारहीन" शब्द सबूत में किसी भी आधार या आधार को नहीं दर्शाता है। इसलिए, जो परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है कि शुल्क को आधारहीन माना जाना चाहिए या नहीं, वह यह है कि जहां सामग्री ऐसी है कि बिना दबाए भी, कोई मामला नहीं निकलेगा।

रिवीजनल पावर को छोड़कर स्पोप ऑफ

शुल्क का चरण

75. मुन्ना देवी बनाम। राजस्थान राज्य और अन्र. , (2001) 9 एस. सी. सी. 631, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 3 ..... दंड संहिता के तहत पुनरीक्षण शक्ति

प्रक्रिया का अभ्यास नियमित और आकस्मिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को साक्ष्य की सराहना करने का कोई अधिकार नहीं है जैसा कि परीक्षण और अपीलीय अदालतों को करने की आवश्यकता होती है। पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब यह दिखाया जाए कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने या आरोप तय करने या प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों के खिलाफ कोई कानूनी रोक है, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, लेकिन यह अपराध नहीं है जिसके लिए -

अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है।

76. इस प्रकार, पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग आकस्मिक या यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल प्रकट त्रुटि को ठीक करने के लिए किया जा सकता है।

कानून या प्रक्रिया जो अन्याय का कारण बनती है, यदि इसे ठीक नहीं किया जाता है। पुनरीक्षण शक्ति को अपीलीय शक्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है। एक पुनरीक्षण न्यायालय अभिलेख पर सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच नहीं कर सकता है क्योंकि यह निचली अदालत या अपीलीय अदालत द्वारा किया जाता है। यह शक्ति

इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कार्यवाही जारी रखने के लिए कोई कानूनी बाधा हो या आरोप पत्र में बताए गए तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर सही माना जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, जो उस अपराध का गठन नहीं करता है जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। यह कानून या प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि की जांच के लिए प्रदान किया जाता है।

77. रोड एजेंसी प्रा. लि. के एशियन रिसर्फेसिंग में यह न्यायालय। लिमिटेड वी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2018) 16 एस. सी. सी. 299 ने अभिनिर्धारित किया है कि आरोप तय करने या आरोपमुक्त करने से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप [2022] 7 एस. सी. आर. है।

दुर्लभतम मामले में केवल पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए बुलाया गया

अधिकार क्षेत्र।

78. उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से तय किए गए मापदंडों से परे काम किया है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जो अभियुक्त को अभियोजन से मुक्त करने की शक्ति को नियंत्रित करता है। कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की भूमिका निभाई थी। थोमंद्रू हन्ना विजयलक्ष्मी @टी. एच. के मामले में इस अदालत ने ठीक यही टिप्पणी की। विजयलक्ष्मी (ऊपर)। उच्च न्यायालय ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि वह मुकदमे के चरण में नहीं था या मुकदमे में किसी फैसले के खिलाफ अपील पर विचार नहीं कर रहा था। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जांच एजेंसी द्वारा अनुपालन की गई जानकारी की तुलना में जांच की है और यह कहते हुए एक फैसला सुनाया है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को संभावना की प्रधानता के सिद्धांत को लागू करते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए। इस पूरी कवायद को जांच अधिकारी द्वारा लोक सेवक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को नहीं लेने और इसे नहीं लेने के कारण उचित ठहराया गया है।

79. संभाव्यता की प्रधानता के सिद्धांत को लागू करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सामने रखे गए पूरे साक्ष्य को स्वीकार करके, मामला अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने को "आधारहीन" नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सी. डी. एस. स्वामी (ऊपर) में कहा गया है कि अभियुक्त के पास हो सकता है

आय के कथित स्रोतों के बारे में जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान, लेकिन सख्ती से, मामले में सबूत नहीं होंगे।

80. अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई) आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत से अलग करती है कि बोझ हमेशा

आरोपित अपराधों के घटकों को साबित करने के लिए अभियोजन और कभी नहीं अभियुक्त पर उसके खिलाफ लगाए गए आरोप को गलत साबित करने के लिए अभियोग लगाया जाता है। धारा 13 (1) (ई) का कानूनी प्रभाव यह है कि अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना है कि अभियुक्त के पास अपनी आय से अधिक संपत्ति थी।

आय के ज्ञात स्रोत लेकिन "आय के ज्ञात स्रोत" शब्द का अर्थ अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोत होगा न कि अभियुक्त को ज्ञात स्रोत और अभियुक्त की जानकारी में। यह अभियुक्त के लिए है कि वह अपने हाथों में धन/संपत्ति का संतोषजनक लेखा-जोखा रखे। इस संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है। अभियुक्त अपने ऊपर इस दायित्व को निर्वहन करने का प्रयास नहीं कर सकता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 का चरण।

राज्य के माध्यम से पुलिस विभाग की धारा 239 के चरण में v. आर. सौंदिरासु ईटीसी। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सी. आर. पी. सी., अदालत को केवल प्रथम दृष्टया मामले को देखना है और यह तय करना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा रखा गया मामला आधारहीन है या नहीं।

81. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं

और अलग रखे जाने के योग्य हैं। मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली परिस्थितियाँ, प्रथम दृष्टया, कथित अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता का संकेत देती हैं। अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप निराधार है। वहाँ इस मामले में विचारणीय मुद्दे हैं। यदि परीक्षण योग्य मुद्दे हैं, तो न्यायालय से प्रतिद्वंद्वी संस्करणों की सत्यता में जाने की उम्मीद नहीं की जाती है।

82. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें सफल होती हैं और इसके लिए अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के लिए पारित किए गए विवादित आदेश

अभियोजन पक्ष के व्यक्तियों को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है। विशेष न्यायालय

अब अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार आरोप तय करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ेगा।

83. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को निर्दोषता की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा या

अभियुक्त व्यक्तियों का अपराध। अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण निचली अदालत द्वारा साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा।

जिसका नेतृत्व अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों कर सकते हैं। हमने अपने निर्णय को केवल अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों की वैधता और वैधता पर विचार करने के लिए सीमित कर दिया है।

84. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)